रजिस्ट्री सं. डी एल--33001/96

REGISTERED No. DL—33001/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 24, 1996 (फाल्गुन 5, 1917)
No. 8] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 24, 1996 (PHALGUNA 5, 1917)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालयों द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	229
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	147
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	1
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	228
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उप-विधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपलब्धियां भी शामिल है) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	143
भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	166
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं ।	2795
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	87
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला अनुपूरक	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए ।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	229
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	147
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	1
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	225
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)— Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).	*
PART II—SECTION 3—SUB SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	143
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	169
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2795
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	27
PART IV—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Follos not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिसर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

लोक सभा सचिवालय

(रक्षा संबंधी स्थायी समिति शाखा)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 9 फरवरी, 1996

सं. 4/1/2/सी ओ डी/95—श्री शरद दिघे, संसद सदस्य को 8 फरवरी, 1996 से विभागों से सम्बद्ध रक्षा संबंधी स्थायी समिति (1995-96) का सभापति नियुक्त किया गया है। उनकी यह नियुक्ति श्री इन्द्रजीत गुप्त के स्थान पर की गई है जिन्होंने समिति के सभापति पद से त्यागपत्र दे दिया है।

के. एल. नारंग, उप सचिव

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 9 जनवरी 1996

अधिसूचना सं. 10/95 (फा. सं. ए. 33011/14/95-शाखा VI—भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम परियोजना सं. आई एन डी/95/006-प्रत्यक्ष कर प्रणालियों के माध्यम से संवर्द्धित संसाधन जुटाने के लिए प्रबंध प्रणालियों तथा कार्यविधियों को पुनः तैयार करना।

2. भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू. एन. डी. पी.) के बीच "प्रत्यक्ष कर प्रणालियों के माध्यम से संवर्द्धित संसाधन जुटाने के लिए प्रबंध प्रणालियों तथा कार्यविधियों को पुनः तैयार करना" नाम की परियोजना को निष्पादित करने के लिए एक करार किया गया है। इस करार के अनुसार केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय कार्यकारी एजेंट है। ऐसी परियोजनाओं के वित्तीय प्रचालनों के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार परियोजना प्राधिकारियों द्वारा दो अलग-अलग बैंक खातों—एक भारतीय मुद्रा में तथा दूसरा अमरीकी डालर में, का खोला जाना अपेक्षित है। इस परियोजना की तरफ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का योगदान 8,65,000 अमरीकी डालर का है। भारत सरकार में वित्तीय अंतर्वेशन 9.69 करोड़ रु. का होगा, जिसे व्यय विभाग द्वारा अलग से मंजूरी प्रदान की जाएगी। उपर्युक्त परियोजना को निष्पादित करने के लिए विशेष सचिव तथा अध्यक्ष (प्रत्यक्ष कर) को राष्ट्रीय परियोजना निदेशक, श्री जी. के. मिश्रा, सदस्य (पी. एण्ड बी.) को सदस्य, कोर ग्रुप तथा डा. वी. के. गुप्ता, आयकर आयुक्त को राष्ट्रीय परियोजना समन्वयक के रूप में पद-नामित किया गया है। बैंक खातों का प्रचालन इन तीन हस्ताक्षरकर्ताओं में से दो के द्वारा किया जाएगा।

3. यह निर्णय लिया गया है कि विदेशी मुद्रा खाते को न्यूयार्क (संयुक्त राज्य अमेरिका) में प्रचालनीय बैंक आफ बड़ौदा में खोला जाए। चालू खाता बैंक आफ बड़ौदा, कनाट प्लेस, नई दिल्ली में खोला जाएगा।

हरबंस सिंह, अवर सचिव

उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
(नमक डेस्क)

नई दिल्ली, दिनांक 8 फरवरी 1996

संकल्प

सं. 07011/2/95-नमक—भारत सरकार ने केन्द्रीय नमक सलाहकार बोर्ड का तत्काल पुनर्गठन करने का निर्णय किया है। पुनर्गठित केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड (इसके बाद "बोर्ड" कहा गया है) की रचना इस प्रकार होगी :—

1. अध्यक्ष
   उद्योग मंत्री
   सदस्य

   केन्द्र सरकार के विभागों/संगठनों के प्रतिनिधि

2. संयुक्त सचिव, नमक प्रभारी, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग।

3. निदेशक, केन्द्रीय नमक तथा समुद्रीय रसायन अनुसंधान संस्थान, भावनगर।

4. संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय आई. डी. डी. नियंत्रण कार्यक्रम प्रभारी, स्वास्थ्य मंत्रालय ।

5. कार्यकारी निदेशक (यातायात एवं परिवहन), रेल मंत्रालय ।

नमक उत्पादक राज्यों की राज्य सरकारों के प्रतिनिधि

6. उद्योग आयुक्त, गुजरात सरकार ।

7. सचिव, उद्योग विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार ।

8. सचिव, उद्योग विभाग, तमिलनाडु सरकार ।

9. सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार ।

10. सचिव, उद्योग विभाग, उड़ीसा सरकार ।

11. सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार ।

नमक उत्पादक राज्यों के अलावा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि

12. सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, असम सरकार ।

13. निदेशक, अतिसार नियंत्रण और आई. डी. डी. उन्मूलन के लिए राजीव गांधी मिशन, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल ।

नमक विनिर्माता

गुजरात

14. अध्यक्ष, भारतीय नमक विनिर्माता संघ, बंबई ।

15. श्री कृष्णामुरारी लाल अग्रवाल, अध्यक्ष, धरमंधरा इनलैंड नमक विनिर्माता संघ ।

16. अध्यक्ष, गांधीधाम वाणिज्य और उद्योग मण्डल, गांधीधाम ।

तमिलनाडु

17. श्री एम. एम. प्रकाश, तुतीकोरिन ।

आंध्र प्रदेश

18. श्री आर. जी. सोनथालिया, कन्नपार्थी, जिला प्रकासम ।

19. मुख्य कार्यकारी, मैसर्स जयश्री कैमिकल्स, गंजम।

राजस्थान

20. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हिन्दुस्तान साल्ट लि., जयपुर ।

आयोडीकृत नमक विनिर्माता

21. श्री रमेश चन्द्र राठी ।

शोधित नमक और आयोडीकृत नमक विनिर्माता

22. श्री पी. वी. आनन्दम, बॅल ब्राईन्स लि., गांधीधाम ।

23. श्री नितिश जैन, डी. सी. डब्ल्यू. लि., बंबई।

नमक विनिर्माणकारी सहकारी समितियों का ज्ञान तथा अनुभव रखने वाले व्यक्ति

24. विशेष अधिकारी, सहकारी विभाग, गुजरात ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रतिनिधि

25. श्री राजन लोहिया, मैसर्स झावरमल विनोद कुमार, कोल रोड, डिबरूगढ़, असम ।

अल्कली विनिर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति

26. श्री एम. जयशंकर, अध्यक्ष, तुतीकोरीन अल्कली कैमीकल्स लि., मद्रास ।

सार्वजनिक कार्यों में जानकारी तथा अनुभव रखने वाले व्यक्ति

27. श्री पी. सी. चाको, संसद सदस्य, 16 जनपथ, नई दिल्ली ।

28. श्री वी. एस. विजयराघवन, बी-101, एम. एस. फ्लैटस, बाबा खड़क सिंह मार्ग, नई दिल्ली ।

29. प्रो. (श्रीमती) सावित्री लक्ष्मन, संसद सदस्य, 139, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली ।

30. प्रो. के. वी. थामस, संसद सदस्य, 84, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली ।

31. श्री ए. ए. कोचुनी, 12/1340, पनयापल्ली, कोचीन ।

सदस्य-सचिव

32. नमक आयुक्त, जयपुर ।

टिप्पणी : जहाजरानी तथा परिवहन और वाणिज्य मंत्रालयों और राज्य व्यापार निगम के प्रतिनिधियों को बोर्ड की बैठक में जब कभी आवश्यक हो, भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है ।

संसद के वे सभी सदस्य जो नमक के क्षेत्रीय सलाहकार बोर्डों के सदस्य हैं, बोर्ड की बैठक में भाग ले सकते हैं ।

2. केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के कार्य नमक उप-कर अधिनियम, 1953 की धारा 3 के अधीन लगाए गए उप-कर से आमदनी के प्रशासन के संबंध में भारत सरकार को सलाह देना और नमक उद्योग के विकास के लिए सहायक उपायों को सामान्यतः सिफारिश करना होगा, अर्थात् :—

1. अनुसंधान केन्द्रों, माडल फार्मों और नमक कारखानों की स्थापना और रख-रखाव ;

2. नमक की श्रेणियां निर्धारित करना और उसकी गुणवत्ता में सुधार करना;

3. निर्यात का विकास;

4. नमक निर्माताओं में सहकारी प्रयासों को बढ़ावा देना तथा प्रोत्साहन देना;

5. नमक उद्योग के विकास से संबंधित कोई अन्य मामला;

6. नमक उद्योग में नियोजित श्रमिकों के कल्याण को प्रोत्साहन देना ।

3. क. बोर्ड की अवधि इस संकल्प के जारी होने की तारीख से तीन वर्ष की होगी ।

ख. यदि किसी गैर-सरकारी सदस्य का स्थान खाली हो जाता है तो केन्द्र सरकार बोर्ड की समाप्त न हुई अवधि के लिए रिक्त स्थान को भरने के लिए नया नामांकन करेगी ।

4. क. यदि कोई मनोनीत सदस्य बैठक में भाग लेने की स्थिति में नहीं है तो उन्हें बोर्ड के अध्यक्ष को लिखित में तथ्य बताना होगा ।

ख. बोर्ड की बैठक का कोरम तीन का होगा ।

ग. बोर्ड अथवा बोर्ड द्वारा विधिवत् गठित किसी उपसमिति की बैठक में भाग लेने वाला प्रत्येक गैर-सरकारी सदस्य नियमों के अधीन यथा-स्वीकार्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता का हकदार होगा ।

घ. नमक आयुक्त जयपुर गैर-सरकारी सदस्यों के यात्रा तथा दैनिक भत्ता बिल पर प्रतिहस्ताक्षरण के लिए नियंत्रण अधिकारी होंगे ।

ङ. गैर-सरकारी सदस्य बोर्ड के अध्यक्ष को संबोधित एक पत्र द्वारा अपने पद पर से त्यागपत्र दे सकता है ।

च. यदि कोई गैर-सरकारी सदस्य भारत छोड़ता है, तो उन्हें भारत छोड़ने से पहले भारत से अपने प्रस्थान की तारीख और भारत में अपनी प्रत्याशित वापसी की तारीख बोर्ड के अध्यक्ष को सूचित करनी होगी और यदि उन का इरादा छः महीने से अधिक अवधि के लिए भारत से अनुपस्थित रहने का है तो उन्हें अपना त्यागपत्र देना होगा । यदि कोई ऐसा सदस्य उपर्युक्त का अनुपालन किए बगैर भारत छोड़ता है, तो उन्हें भारत से अपने प्रस्थान की तारीख से त्यागपत्र दिया हुआ समझा जाएगा ।

छ. बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किसी सदस्य के बारे में यह घोषणा कर दी जाएगी कि उसका स्थान खाली हो गया है ।

1. यदि वह दिवालिया हो गया है, अथवा

2. यदि वह किसी ऐसे अपराध, जो केन्द्र सरकार की राय से चरित्रहीनता से संबंधित है, का दोषी सिद्ध हो गया हो, अथवा

3. यदि वह बोर्ड के अध्यक्ष से अनुपस्थिति की छुट्टी लिए बिना उसकी लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है, अथवा

4. यदि केन्द्र सरकार की राय में वह अवांछनीय है कि वह बोर्ड का सदस्य बना रहे ।

ज. बोर्ड का सचिव बोर्ड के अध्यक्ष के अनुमोदन से क्षेत्रीय नमक सलाहकार बोर्ड के एक अथवा एक से अधिक गैर-सरकारी सदस्यों अथवा अन्य व्यक्तियों को बोर्ड की किसी बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकता है और ऐसे सदस्य अथवा व्यक्ति खंड (ग) के अधीन उल्लिखित यात्रा भत्ता आदि के हकदार होंगे ।

झ. बोर्ड की बैठक ऐसे स्थान और समय पर होगी जैसा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाएगा ।

भारत में उपस्थित प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक साधारण बैठक के लिए समय तथा स्थान की सूचना ऐसी बैठक से 15 दिन पहले देनी होगी और प्रत्येक सदस्य को उस बैठक में निपटाए जाने वाले कार्य की एक सूची दी जाएगी ।

यदि अध्यक्ष द्वारा कोई आपातकालीन बैठक बुलाई जाती है तो ऐसा नोटिस आवश्यक नहीं है ।

ञ. जो मद कार्य सूची में नहीं है, उस पर बोर्ड अध्यक्ष की पूर्वानुमति के बिना बैठक में विचार नहीं किया जाएगा ।

ट. बोर्ड की जिस बैठक में अध्यक्ष उपस्थित होंगे उसकी अध्यक्षता वे करेंगे । यदि अध्यक्ष किसी बैठक में अनुपस्थित होंगे, तो सदस्य अध्यक्ष का चुनाव करेंगे और इस तरह चुना गया सदस्य उस बैठक में अध्यक्ष के अधिकारों का प्रयोग करेगा ।

ण. बोर्ड की बैठक में प्रत्येक प्रश्न उपस्थित सदस्यों के बहुमत और उस प्रश्न पर मतदान से तय किया जाएगा । मतों का बराबर विभाजन होने पर अध्यक्ष अतिरिक्त मत देंगे ।

त. बोर्ड की बैठक की कार्रवाई भारत में उपस्थित सभी सदस्यों को परिचालित की जाएगी और उसके बाद एक कार्यवृत्त पुस्तक में दर्ज की जाएगी जो स्थायी रिकार्ड के लिए रखी जाएगी ।

प्रत्येक बैठक कार्रवाई के रिकार्ड पर बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

थ. किसी क्षेत्र के खर्च, जिसे उप-कर की आय से पूरा किया जाना है, के लिए प्रस्तावों पर पहले क्षेत्रीय बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा, इस प्रयोजन के लिए प्रस्तावों के ब्यौरे के साथ प्रारम्भिक अनुमान और अन्य आवश्यक आंकड़ों के साथ उसकी अनुमानित लागत क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा तैयार किए जाएंगे । इसके बाद क्षेत्रीय बोर्ड की सिफारिश के साथ-साथ इन प्रस्तावों पर केन्द्रीय बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा ।

विकासात्मक स्वरूप और श्रमिक कल्याण के कार्यों, प्रत्येक की 5 लाख रुपए लागत, का स्वयं क्षेत्रीय बोर्डों द्वारा केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड को उनकी अंतिम सिफारिशों के लिए भेजे बिना निष्पादन के लिए अनुमोदन किया जा सकता है ।

द. केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की सिफारिशें केन्द्र सरकार को स्वीकृति के लिए भेजी जाएंगी उसके बाद विस्तृत प्राक्कलन तैयार किए जाएंगे । सक्षम प्राधिकारी द्वारा इन अनुमानों को स्वीकृत किया जाएगा ।

ध. बोर्ड के किसी कार्य अथवा कार्रवाई पर बोर्ड में कोई रिक्त स्थान के होने अथवा उसके संविधान में कमी के आधार पर, कोई संदेह व्यक्त नहीं किया जाएगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा जाए ।

2. आदेश दिया जाता है कि संकल्प भारत के राजपत्र, भाग-1, खंड-1 में प्रकाशित किया जाए ।

प्रतिभा करन
संयुक्त सचिव

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 सितम्बर 1995

सं. एफ. 8-133/93/टी. डी. 1/टी. एस. 2—मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मद्रास, बम्बई, कलकत्ता तथा कानपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों को, उनकी सभी परिसम्पत्तियों सहित, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) की सांविधिक स्वायत्त संस्थान, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली में, 1 अक्तूबर, 1995 से स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है ।

इन क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के स्थानांतरण तथा अन्य सेवा संबंधी शर्तों का नियंत्रण, कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों द्वारा किया जाएगा ।

प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय की परिसम्पत्तियों की सूची 30-9-1995 तक तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा जिसमें (1) सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, (2) उप शिक्षा सलाहकार (तकनीकी) मानव संसाधन विकास मंत्रालय और (3) समेकित वित्त प्रभाग (मा. सं. वि. मंत्रालय) के एक प्रतिनिधि शामिल होंगे और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् को परिसम्पत्तियों के स्थानांतरण के लिए सरकार का निर्णय अलग से जारी किया जाएगा ।

डी. पी. अग्रवाल
संयुक्त शिक्षा सलाहकार (तकनीकी)

रेल मन्त्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नियम

नई दिल्ली, दिनांक 24 फरवरी, 1996

सं. 95/ई. (जी. आर.)-1/1/8—यांत्रिकी इन्जीनियरों को भारतीय रेल सेवा में विशेष श्रेणी/अप्रेन्टिसों के रूप में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के उद्देश्य से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1996 में ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा के नियम आम जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं ।

2. परीक्षा परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या का उल्लेख आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले नोटिस में किया जाएगा । अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवारों के संबंध में रिक्तियों का आरक्षण भारत सरकार द्वारा नियत की जाने वाली संख्या के अनुसार किया जाएगा ।

3. संघ लोक सेवा आयोग, द्वारा यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट 1 में निर्धारित ढंग से ली जाएगी ।

परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे ।

4. उम्मीदवारों के लिए आवश्यक होगा कि वह या तो :

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए, या

(ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(ङ) कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और केनिया, उगांडा तथा तंजानिया संयुक्त गणराज्य,

भूतपूर्व टंगानिका और जंजीबार पूर्वी अफ्रीकी देशों से या जांबिया, मलावी जेरे, इथियोपिया और वियतनाम से आया हो ।

परन्तु (क), (ग), (घ) और (ङ) वर्गों के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता (एलिजिबिलिटी) प्रमाण-पत्र होना चाहिए ।

ऐसे उम्मीदवारों को भी उक्त परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है जिसके बारे में पात्रता-प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक हो किन्तु उसको नियुक्ति प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा उस संबंध में पात्रता प्रमाण-पत्र जारी कर दिए जाने के बाद ही भेजा जा सकता है ।

5. (क) उम्मीदवार के लिए आवश्यक है कि उसकी आयु पहली अगस्त, 1996 को 17 वर्ष हो चुकी हो लेकिन 21 वर्ष न हुई हो अर्थात् उसका जन्म 2 अगस्त, 1975 से पहले और पहली अगस्त, 1979 के बाद का न हो ।

(ख) ऊपर बताई गई अधिकतम आयु सीमा में निम्नलिखित मामलों में ढील दी जा सकती है :—

(1) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष ।

(2) यदि उम्मीदवार कुवैत या इराक से वस्तुतः प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो जो इन देशों में से किसी देश से 15 मई, 1990 के बाद लेकिन 22 नवम्बर, 1991 से पहले भारत प्रवजन कर चुका हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष ।

(3) यदि उउमीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो और कुवैत या इराक से वस्तुतः प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो जो इन देशों में से किसी देश से 15 मई, 1990 के बाद लेकिन 22 नवम्बर, 1991 से पहले भारत प्रवजन कर चुका हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष ।

(4) ऐसे उम्मीदवार के मामले में, जिन्होंने 01 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1989 तक की अवधि के दौरान साधारणतया जम्मू और कश्मीर राज्य के कश्मीर डिवीजन में अधिवास किया हो, अधिकतम 5 वर्ष तक ।

(5) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित ऐसे उम्मीदवारों के मामले में, जिन्होंने 01 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1989 तक की अवधि के दौरान जम्मू तथा कश्मीर राज्य के कश्मीर डिवीजन में अधिवास किया हो, अधिकतम 10 वर्ष तक ।

(6) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांति-ग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से मुक्त किए गए ऐसे रक्षा कार्मिकों को अधिक से अधिक 3 वर्ष ।

(7) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांति-ग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से निर्मुक्त किए गए ऐसे रक्षा कार्मिकों के लिए, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हों, तो अधिक से अधिक 8 वर्ष ।

(8) जिन भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों (आपातकालीन) कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित पहली अगस्त, 1996 को कम से कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा की है और जो (1) कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल समापन पर कार्यमुक्त हुए हैं (इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल पहली अगस्त, 1996 से एक वर्ष के अंदर पूरा न होता हो) या (2) सैनिक सेवा से हुई शारीरिक अपंगता या (3) अशक्तता के कारण कार्यमुक्त हुए हैं उनके मामले में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक ।

(9) जिन भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों (आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) ने, पहली अगस्त, 1996 को कम से कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा की है और जो (1) कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्यमुक्त हुए हैं (इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल पहली अगस्त, 1996 से एक वर्ष के अन्दर पूरा होना है) या (2) सैनिक सेवा से हुई शारीरिक अपंगता या (3) अशक्तता के कारण कार्यमुक्त हुए हैं तथा जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के हैं उनके मामले में अधिक से अधिक 10 वर्ष तक ।

(10) आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के उन मामलों में जिन्होंने पहली अगस्त, 1996 को सैनिक सेवा के 5 वर्ष की सेवा की प्रारम्भिक अवधि पूरी कर ली है और जिनका कार्यकाल 5 वर्ष से आगे भी बढ़ाया गया है तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय एक प्रमाण-पत्र जारी करता है कि ये सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और चयन होने पर नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से तीन माह के नोटिस पर उन्हें कार्यभार से मुक्त किया जाएगा, अधिकतम 5 वर्ष ।

(11) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के ऐसे आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के उन मामलों में जिन्होंने पहली अगस्त, 1996 को सैनिक सेवा के

5 वर्ष की सेवा की प्रारम्भिक अवधि पूरी कर ली है और जिनका कार्यकाल 5 वर्ष से आगे भी बढ़ाया गया है तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय एक प्रमाण-पत्र जारी करता है कि वे सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और चयन होने पर नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से तीन माह के नोटिस पर उन्हें कार्यभार से मुक्त किया जाएगा, अधिकतम 10 वर्ष ।

(12) अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित ऐसे उम्मीदवारों के मामले में, जो उन पर लागू होने वाले आरक्षण के पात्र हैं, अधिकतम 3 वर्ष ।

टिप्पणी 1—"भूतपूर्व सैनिक" शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें समय-समय पर यथा संशोधित भूतपूर्व सैनिक (सिविल सेवा तथा पदों में पुनर्नियोजन) नियमावली, 1979 में भूतपूर्व सैनिक के रूप में परिभाषित किया गया है ।

टिप्पणी 2—नियम 5 (ख) (2) से (12) के अंतर्गत आने वाले वे उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नहीं हैं तथा जिन्होंने आयु सीमा में छूट प्राप्त करने के बाद सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पहले ही ले ली है तो वह आयु सीमा में छूट के पात्र नहीं हैं । तथापि, ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को, जो केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत किसी सिविल पद पर पहले ही नियमित रोजगार प्राप्त कर चुके हैं, केन्द्र सरकार के अंतर्गत किसी उच्च पद या सेवा में किसी अन्य रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिकों को यथा स्वीकार्य आयु छूट के लाभ की अनुमति दी जाती है ।

टिप्पणी 3—अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित वे उम्मीदवार, जो उपर्युक्त पैरा 5 (ख) के किन्हीं खंडों अर्थात, जो भूतपूर्व सैनिकों, जम्मू तथा कश्मीर राज्य के कश्मीर डिवीजन में अधिवास करने वाले व्यक्तियों तथा कुवैत और इराक आदि देश से प्रत्यावर्तित व्यक्तियों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, दोनों श्रेणियों के अंतर्गत दी जाने वाली संचयी आयु सीमा-छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे ।

उपर्युक्त व्यवस्था को छोड़कर अन्य किसी भी स्थिति में निर्धारित आयु सीमा में छूट नहीं दी जा सकती है ।

6. उम्मीदवार ने :—

(क) भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किसी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा गणित के साथ और भौतिकी और रसायन विज्ञान में से कम से कम एक विषय लेकर प्रथम या द्वितीय श्रेणी में पास की हो;

गणित और भौतिकी या रसायन विज्ञान में से कम से कम एक विषय के साथ स्नातक भी आवेदन कर सकते हैं; या

(ख) स्कूली शिक्षा की (10+2) प्रणाली के अन्तर्गत हायर सैकण्डरी (12 वर्ग) परीक्षा गणित के साथ और भौतिकी तथा रसायन विज्ञान में कम से कम एक विषय लेकर प्रथम या द्वितीय श्रेणी में पास की हो; या

(ग) किसी विश्वविद्यालय के तीन वर्ष के डिग्री पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम वर्ष की परीक्षा या ग्रामीण उच्चतर शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद् की ग्रामीण सेवाओं में तीन वर्ष के डिप्लोमा पाठ्यक्रम की प्रथम परीक्षा पास की हो या मद्रास विश्वविद्यालय (गान्ध्य कालेज) के स्नातक कला/विज्ञान के चार वर्षीय पाठ्यक्रम के चौथे वर्ष में प्रोन्नति के लिए तीसरे वर्ष की परीक्षा पास की हो जिसमें गणित के साथ भौतिकी और रसायन विज्ञान में कम से कम एक विषय रहा हो, लेकिन शर्त यह है कि डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले उसने उच्चतर/माध्यमिक परीक्षा या पूर्व विश्वविद्यालय या समकक्ष परीक्षा प्रथम या द्वितीय श्रेणी में पास की हो ।

जिन उम्मीदवारों ने तीन वर्षीय पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा प्रथम या द्वितीय श्रेणी में गणित के साथ और भौतिकी और रसायन विज्ञान में एक विषय के साथ पास की हो वे आवेदन पत्र भेज सकते हैं लेकिन शर्त यह है कि प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा किसी विश्वविद्यालय द्वारा ली गई हो; या

(घ) भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किसी विश्वविद्यालय की पूर्व इंजीनियरी परीक्षा प्रथम या द्वितीय श्रेणी में पास की हो; या

(ङ) किसी भारतीय विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त बोर्ड की पूर्व व्यावसायिक/पूर्व तकनीकी परीक्षा जो उच्चतर माध्यमिक या पूर्व विश्वविद्यालय स्तर के एक वर्ष के बाद ली गई हो प्रथम या द्वितीय श्रेणी में पास की हो और परीक्षा के विषयों में गणित के साथ भौतिकी और रसायन विज्ञान में कम से कम एक परीक्षा का विषय रहा हो; या

(च) किसी विश्वविद्यालय के पांच वर्षीय इंजीनियरी डिग्री पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम वर्ष की परीक्षा पास की हो, लेकिन शर्त यह है कि डिग्री पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले उसने उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या पूर्व विश्वविद्यालय या समकक्ष परीक्षा प्रथम या द्वितीय श्रेणी में पास की हो ।

जिन उम्मीदवारों ने पांच वर्षीय इंजीनियरी डिग्री पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा प्रथम या द्वितीय श्रेणी में पास की हो वे आवेदन-पत्र भेज सकते हैं लेकिन शर्त यह है कि प्रथम वर्ष की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा ली गई हो, या

(छ) केरल और कालीकट के विश्वविद्यालयों से गणित के साथ भौतिकी और रसायन विज्ञान में से कम से कम एक विषय लेकर पूर्व-स्नातक परीक्षा, प्रथम या द्वितीय श्रेणी में पास की हो।

टिप्पणी (1)—जिन उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय/बोर्ड इंटरमीडिएट या उपर्युक्त किसी अन्य परीक्षा में कोई विशिष्ट श्रेणी न दी गई हो उन्हें भी शैक्षणिक दृष्टि से पात्र समझा जाएगा लेकिन शर्त यह है कि उनके प्राप्तांकों का कुल योग सम्बन्धित विश्वविद्यालयों/बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रथम या द्वितीय श्रेणी के अंकों की सीमा में हो।

टिप्पणी (2)—ऐसे उम्मीदवार जो कि ऐसी परीक्षा में बैठ चुके हैं जिसे पास करने से वह इस परीक्षा में बैठने की पात्र बनते हैं लेकिन जिसके परीक्षाफल की सूचना उन्हें नहीं मिली है, इस परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र भेज सकते हैं। यदि कोई उम्मीदवार, किसी ऐसी अर्हक परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो वह भी आवेदन-पत्र दे सकते हैं। ऐसे उम्मीदवार को यदि वह अन्यथा पात्र हो, तो परीक्षा में प्रवेश मिल जाएगा लेकिन उसके प्रवेश को अनंतिम समझा जाएगा तथा अर्हक परीक्षा को पास करने का प्रमाण प्रस्तुत न करने की स्थिति में रद्द कर दिया जाएगा उक्त प्रमाण विस्तृत आवेदन पत्र के, जो उक्त परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों द्वारा आयोग को प्रस्तुत करने पड़ेंगे, साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

टिप्पणी (3)—अपवादिक मामलों में, आयोग किसी ऐसे उम्मीदवार को शैक्षणिक दृष्टि से अर्हक मान सकता है जिसके पास इस नियम में निर्धारित अर्हताओं में से कोई भी अर्हता न हो लेकिन ऐसी अर्हताएं हों, जिसके स्तर के बारे में आयोग का यह मत हो कि उनके आधार पर उसे परीक्षा में प्रवेश देना उचित है।

टिप्पणी (4)—राज्य तकनीकी-शिक्षा बोर्ड द्वारा दिए गए इंजीनियरी डिप्लोमा स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिसेज परीक्षा में प्रवेश के लिए स्वीकार्य नहीं है।

7. उम्मीदवार के लिए आवश्यक होगा कि वह आयोग के नोटिस में विनिर्दिष्ट फीस दे।

8. जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी नौकरी में आकस्मिक या दैनिक दर कर्मचारी से इतर स्थाई या अस्थाई हैसियत से या कार्य प्रभारित कर्मचारियों की हैसियत से काम कर रहे हैं अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन सेवारत हैं, उन्हें यह परिवचन (अंडरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से सम्बद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत/उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

9. परीक्षा में प्रवेश के लिए कोई उम्मीदवार पात्र है या नहीं, इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

परीक्षा में आवेदन करने वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि वे परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं। परीक्षा के उन सभी स्तरों, जिनके लिये आयोग ने उन्हें प्रवेश दिया है अर्थात लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षा में उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा तथा उनके निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करने पर आधारित होगा। यदि लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षण के पहले या बाद में सत्यापन करने पर यह पता चलता है कि वे पात्रता की किन्हीं शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिये उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

10. जब तक किसी उम्मीदवार के पास आयोग से प्राप्त प्रवेश प्रमाण-पत्र नहीं होगा तब तक उसे परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा।

11. जो उम्मीदवार आयोग द्वारा निम्नांकित कदाचार का दोषी घोषित होता है या हो चुका है :—

(1) किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी का समर्थन प्राप्त करना; या

(2) किसी व्यक्ति के स्थान पर स्वयं प्रस्तुत होना; या

(3) अपने स्थान पर किसी दूसरे को प्रस्तुत करना; या

(4) जाली प्रलेख या फेर-बदल किए गए प्रलेख प्रस्तुत करना; या

(5) अशुद्ध या असत्य वक्तव्य देना या महत्वपूर्ण सूचना को छिपाकर रखना; या

(6) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के सम्बन्ध में किसी अनियमित या अनुचित लाभ उठाने का प्रयास करना; या

(7) परीक्षा के समय अनुचित तरीके अपनाए हों; या

(8) उत्तर-पुस्तिका(ओं) पर असंगत बातें लिखी हों जो अश्लील भाषा या अभद्र आशय की हों; या

(9) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो; या

(10) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; या

(11) परीक्षा की अनुमति देते हुए उम्मीदवारों को भेजे गए प्रवेश-पत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया हो; अथवा

(12) उपर्युक्त वाक्यांश में निर्धारित सभी या कोई भी कृत्य करने का प्रयास करने या उसे अवप्रेरित करने जैसा भी मामला हो, का दोषी हो या आयोग द्वारा दोषी घोषित किया गया हो तो उसके विरुद्ध आपराधिक अभियोग चलाए जाने के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकती है :—

(क) आयोग द्वारा उसे उस परीक्षा के लिए जिसका वह उम्मीदवार है; अनर्हक घोषित किया जा सकता है; और या

(ख) उसे स्थाई रूप से या विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित से विवर्जित किया जा सकता है :—

(1) आयोग द्वारा स्व-आयोजित परीक्षा या चयन से,

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी नौकरी से; और

(ग) यदि वह पहले से ही सरकारी नौकरी में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है । किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक :—

(1) उम्मीदवार को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो, और

(2) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो विचार न कर लिया गया हो ।

12. जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में उतने न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेते हैं, जितने आयोग स्वविवेक से निर्धारित करे; उन्हें आयोग व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाएगा ।

किन्तु यदि आयोग की राय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति या अन्य पिछड़ी श्रेणी के उम्मीदवारों को उसके लिए आरक्षित रिक्तियों के भरने के उद्देश्य से सामान्य स्तर के आधार पर पर्याप्त संख्या में साक्षात्कार के लिए बुलाना संभव न हो तो आयोग द्वारा उन्हें निर्धारित स्तर में छूट दी जा सकती है ।

13. (1) साक्षात्कार के बाद आयोग प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में अंतिम रूप से प्राप्त उसके कुल अंकों के आधार पर योग्यताक्रम से उम्मीदवारों की सूची बनाएगा और उसी क्रम से उन उम्मीदवारों में से जिन्हें आयोग समझेगा उनकी उन अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए अनुशंसा करेगा जिन्हें इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरा जाना है ।

(2) आयोग द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक, स्तर में छूट देकर सिफारिश की जा सकेगी किंतु शर्त यह है कि ये उम्मीदवार सेवा पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त हों ।

परन्तु, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों जिनकी आयोग ने इस उप-नियम में उल्लिखित स्तर में छूट दिए बिना सिफारिश की है उनका समायोजन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों में नहीं किया जाएगा ।

14. प्रत्येक उम्मीदवार का परीक्षाफल किस रूप में और किस ढंग से भेजा जाए, इस बात का निर्णय आयोग स्वविवेक से करेगा और परिणाम के संबंध में आयोग उम्मीदवारों से कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा ।

15. परीक्षा में सफल होने से तब तक नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता जब तक सरकार आवश्यक जांच-पड़ताल के बाद इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार उसके चरित्र और पूर्व वृत्त को ध्यान में रखते हुए सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए सर्वथा उपयुक्त हो ।

16. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो संबंधित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्य को कुशलतापूर्वक निभाने में बाधक हो । यदि चिकित्सा डाक्टरी परीक्षा जो सरकार या नियुक्ति अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाए, यथास्थिति के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हुआ है कि इन शर्तों को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी ।

परीक्षा के लिखित भाग के आधार पर जो उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त कर लेते हैं उनकी डाक्टरी जांच साक्षात्कार की तारीख के तुरन्त बाद आने वाले कार्य दिवस को की जायेगी (शनिवार, रविवार और छुट्टियों वाले दिन डाक्टरी जांच नहीं होगी) । इस प्रयोजन के लिए सभी सफल उम्मीदवारों को प्रातः 9.00 बजे, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय अस्पताल, उत्तरी रेलवे बसन्त लेन, नई दिल्ली पर उपस्थित होना पड़ेगा । यदि उम्मीदवार चश्मा

लगाए हों तो उन्हें हाल ही के चश्मे के नंबर के साथ मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित होना चाहिए ।

डाक्टरी जांच की तारीख या स्थान-परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

उम्मीदवारों को यह नोट कर लेना चाहिए कि किसी भी हालत में डाक्टरी जांच से छूट के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा :—

उम्मीदवार यह भी नोट कर लें कि :—

(1) उनको (सोलह रुपए) रु. 16/- की नकद राशि मेडिकल बोर्ड को भुगतान करनी होगी;

(2) डाक्टरी जांच के संबंध में की गई यात्राओं के लिए उम्मीदवार को कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा, और

(3) उम्मीदवार की डाक्टरी जांच हो जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि नियुक्ति के लिए उसके मामले पर विचार किया ही जाएगा ।

उम्मीदवार यह नोट कर लें कि उसके रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा डाक्टरी जांच से संबंधित अलग से कोई सूचना नहीं भेजी जाएगी ।

टिप्पणी :—उम्मीदवारों को किसी प्रकार की निराशा न हो उनके लिए उन्हें सलाह दी जाती है कि परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने से पहले सिविल सर्जन स्तर के किसी सरकारी चिकित्सा अधिकारी से परीक्षा करा लें । नियुक्ति से पहले उम्मीदवारों की किसी प्रकार की डाक्टरी परीक्षा होगी और इसमें उनसे किस स्तर की अपेक्षा की जायेगी, इसका ब्यौरा इन नियमों के परिशिष्ट-2 में दिया गया है । अपाहिज, भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों के संबंध में प्रत्येक सेवा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन मानकों से छूट दी जाएगी ।

17. कोई भी व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा विवाह करने की संविदा की हो, जिसकी एक पत्नी/जिसका पति जीवित हो, अथवा

(ख) जिसने एक पत्नी/पति के रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा विवाह करने की संविदा की हो ।

सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीकार्य विधि के अंतर्गत इस प्रकार का विवाह अनुमेय है और ऐसा करने के अन्य कारण हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकती है ।

18. इस परीक्षा के माध्यम से चयन किए गए विशेष श्रेणी अप्रेंटिसों के लिए अप्रेंटिसों की शर्तें परिशिष्ट-3 में दी गई हैं । यांत्रिक इन्जीनियरों की भारतीय रेल सेवा से संबंधित संक्षिप्त विवरण भी परिशिष्ट-4 में दिए गए हैं ।

एस. सूर्यनारायणन, सचिव
रेलवे बोर्ड

परिशिष्ट-1

(देखिये नियम-3)

परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार आयोजित की जायेगी :—

भाग—1 नीचे दर्शाए गए विषयों में अधिकतम 700 अंकों की लिखित परीक्षा ।

भाग—2 व्यक्तित्व परीक्षण जिसमें अधिकतम अंक 200 होंगे (देखिये नियम 12) ।

2. भाग 1 के अंतर्गत लिखित परीक्षा के विषय प्रत्येक विषय प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित समय और अधिकतम अंक निम्नलिखित होंगे :—

क्र० सं०	विषय	कोड स०	निर्धारित समय	अधिकतम अंक
1	2	3	4	5
1.	अंग्रेजी	01	2 घण्टे	100
2.	सामान्य ज्ञान	02	2 घण्टे	100
3.	भौतिकी	03	2 घण्टे	100
4.	रसायन विज्ञान	04	2 घण्टे	100
5.	गणित-I (बीज गणित), प्रारम्भिक विस्तार कलन त्रिकोणमिति और विश्लेषणात्मक ज्यामिती	05	2 घण्टे	100
6.	गणित II (कलन अन्तर तथा समाकलन और यांत्रिकी स्थितिकी तथा गतिकी)	06	2 घण्टे	100
7.	मनोवैज्ञानिक परीक्षण	07	1 घण्टा	100
	योग			700

3. सभी विषयों के प्रश्न-पत्रों में केवल "वस्तुपरक (बहु विकल्प) प्रश्न" होंगे। प्रश्न-पत्र केवल अंग्रेजी में ही होंगे।

4. प्रश्न-पत्र में जहां आवश्यक हो केवल माप व तोल की मीट्रिक प्रणाली से संबंद्ध प्रश्न किए जायेंगे।

5. प्रश्न-पत्र लगभग इण्टरमीडिएट स्तर के होंगे।

6. उम्मीदवार उत्तरों को अपने ही हाथ से लिखें। उन्हें किसी भी हालत में उत्तर लिखने के लिए किसी व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

7. आयोग परीक्षा के किसी एक विषय या सभी विषयों के लिए अर्हक अंक निर्धारित कर सकता है।

8. उम्मीदवार वस्तुपरक प्रश्न-पत्रों (परीक्षण पुस्तिका) का उत्तर देने के लिए कैलकुलेटरों का प्रयोग नहीं कर सकते। अतः वे इन्हें परीक्षा भवन में न लाएं।

9. परीक्षा का पाठ्यक्रम संलग्न अनुसूची में दिया गया है।

अनुसूची

अंग्रेजी (कोड सं. 01) प्रश्न इस प्रकार के होंगे जिनसे उम्मीदवार की समझ और भाषा पर अधिकार का पता लग सके।

सामान्य ज्ञान (कोड सं. 02)

इस प्रश्न-पत्र का उद्देश्य उम्मीदवार को अपने चारों ओर के वातावरण और सामाजिक व्यवस्थाओं की सामान्य जानकारी का परीक्षण करना है। प्रश्न के उत्तरों का स्तर उस स्तर का होगा जैसा कि 12वीं कक्षा या समकक्ष स्तर के विद्यार्थियों का होता है।

व्यक्ति और उसका परिवेश :

जीवन का विकास पौधे और पशु वंशानुगत और परिवेश आनुवंशिकी प्रकोष्ठ क्रोमोसोम, जीन्स

मानव शरीर की जानकारी—पोषाहार संतुलित भोजन और स्थायी खाद्य महामारियों और सामान्य रोगों की रोकथाम सहित लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता वातावरणीय प्रदूषण और उसकी रोकथाम, खाद्य अपमिश्रण खाद्यानों और उनसे निर्मित उत्पादों का सही प्रकार से स्टोर करना तथा परीक्षण। जनसंख्या विस्फोट जनसंख्या नियंत्रण, खाद्य और कच्चे सामान का उत्पादन। पशुओं तथा पौधों का संप्रजनन, कृत्रिम गर्भाधान, खाद और उर्वरक, फसल रक्षण उपाय, अधिकतम किस्में और हरित क्रांति भारत के मुख्य अनाज और नकदी फसलें।

सौर परिवार और पृथ्वी। ऋतुएं, जलवायु मौसम। भूमि—इनकी रचना और अपरदन वन तथा उनके उपयोग प्राकृतिक संकट (चक्रवात, तूफान, बाढ़, भूकम्प, ज्वालामुखी उदगार)। पर्वत और नदियां और भारत में सिंचाई के लिए उनका योगदान। भारत में प्राकृतिक साधनों और उद्योगों का वितरण तेल सहित भूगत खनिजों की खोज। भारत के वनस्पतिजात और प्राणिजात के विषय संदर्भ के साथ प्राकृतिक साधन।

भारत का इतिहास राजनीति और समाज :

वैदिक, महावीर, बुद्ध, मौर्य, शुंग, आंध्र कुषाण, गुप्त काल (मौर्य कालीन स्तंभ, स्तूप कन्दराएं, सांची, मथुरा और गन्धर्व विद्यालय मंदिर वास्तुकला अजन्ता और एलोरा)।

इस्लाम के आने के साथ नई शक्तियों की उत्पत्ति और व्यापक संबंधों की स्थापना। सामन्तवाद में पूंजीवाद में स्थानान्तरण। यूरोपीय संबंधों की शुरूआत। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना। राष्ट्रीयवाद और स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय संग्राम।

भारत का संविधान, और इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं—लोकतंत्र, धर्म-निरपेक्षता, समाजवाद, समानता के अवसर और सरकार की संसदीय प्रणाली प्रमुख-राजनैतिक विचार धाराएं—लोकतंत्र, प्रजातन्त्रवाद, साम्यवाद और अहिंसा के गांधीवादी विचार। भारतीय राजनीतिक दल, प्रभावशाली गुट, लोकमत और प्रेस चुनाव प्रणाली।

भारत की विदेश नीति और गुट निरपेक्षता—शस्त्र निर्माण होड़ शक्ति संतुलन। विश्व संगठन—राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक पिछले दो वर्षों के दौरान भारत और विदेश में घटित प्रमुख घटनाएं (खेलकूद और सांस्कृतिक कार्य-कलाप सहित)।

भारतीय सामाजिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं—जाति व्यवस्था से हाल में हुए परिवर्तनों और दृष्टिकोण अल्पसंख्यक सामाजिक संस्थाएं—विवाह, परिवार, धर्म और संस्कृति संक्रमण।

श्रम विभाजन, सहकारिता, टकराव और प्रतियोगिता सामाजिक नियंत्रण, पुरस्कार और सभा, कला, कानून, रीति-रिवाज, गलत प्रचार, लोकमत, सामाजिक, नियंत्रण की एजेंसियां—परिवार, धर्म, राज्य शैक्षिक संस्थाएं, सामाजिक परिवर्तन के कारण, आर्थिक, औद्योगिकीय जन सांख्यिकीय सांस्कृतिक क्रांति की संकल्पना।

भारत में सामाजिक विघटन :

जातिवाद, साम्प्रदायिकता, जनजीवन में भ्रष्टाचार, युवक अशांति, भीख मांगना, औषध अपराधवृत्त और अपराध, गरीबी, और बेरोजगारी।

सामाजिक योजना और भारतीय सामुदायिक विकास का कल्याण और श्रम, कल्याण, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण।

धन कराधान, मूल्य, जन सांख्यिकीय, दृष्टिकोण, राष्ट्रीय आय, आर्थिक विकास, निजी और लोक क्षेत्र, योजना में आर्थिक और गैर आर्थिक कारण संतुलित बनाम असंतुलित विकास, कृषि बनाम औद्योगिक विकास स्फीती और साधन जुटाने के संबंध में मूल्य स्थिरीकरण समस्याएं भारत की पंचवर्षीय योजनाएं।

भौतिकी (कोड सं. 03)

वर्नियर, स्क्रूगेज, स्फीरोमीटर और ऑप्टिकल लीवर का प्रयोग करते हुए लंबाई की माप ।

समय और द्रव्यमान का माप :

सरल रैखिक गति और विस्थापन, वेग और त्वरण के बीच संबंध ।

न्यूटन के गति के नियम, संवेग, आवेग, कार्य, ऊर्जा, और शक्ति ।

घर्षण गुणांक :

बल क्रिया के अंतर्गत पिंडों का संतुलन । बल का आघूर्ण: युगपत न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत । पलायन वेग । गुरुत्व के कारण त्वरण । द्रव्यमान तथा भार । गुरुत्व केन्द्र । एक समान वृत्तीय गति अभिकेन्द्र बल । सरल आवर्त गति । सरल लोलक ।

द्रव में दवाब और इसकी विभिन्न गहराई । पास्कल का नियम । आर्कमिडीज का सिद्धांत, तैरने वाले पिण्ड, वायुमंडलीय दवाब और इसकी माप ।

तापमान और इसकी माप । तापीय प्रसार : गैस नियम और परम ताप । विशिष्ट उष्मा । गुप्त उष्मा और उसकी माप । गैसों की विशिष्ट उष्मा । उष्मा का यांत्रिक समतुल्य आंतरिक उर्जा और उष्मागति का पहला नियम । समतापी और रुद्धोष्म में निर्भरता । अनुवाद परिघटना (वायु स्तंभ और रज्जु) ।

तरंग गति अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगें । प्रगामी और अप्रगामी तरंगें । गैस में ध्वनि का वेग और विभिन्न कारकों पर निर्भरता । अनुवाद परिघटना (वायु स्तंभ और रज्जु) ।

प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन । वक्र दर्पणों और लैंसों द्वारा बिंब रचना । सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी (किरण आरेख) ।

प्रिज्म :—विचलन और प्रकीर्णन । न्यूनतम विचलन शुद्ध स्पेक्ट्रम ।

छड़ चुम्बक का क्षेत्र। चुम्बकीय आघूर्ण । भू-चुम्बकीय क्षेत्र के तत्व चुम्बकीयमापी । डाय, पैरा और फैरो चुम्बकत्व ।

विद्युत चार्ज, विद्युत क्षेत्र और विभव: कूलम्ब नियम ।

विद्युत धारा—विद्युत सेल, ई. एम. एफ., प्रतिरोध एमीटर और वोल्टमीटर । ओह्म का नियम : श्रेणी और समान्तर में प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध और चालकता धारा का तापन प्रभाव ।

व्हीटस्टोन ब्रिज, विभवमापी ;

धारा का चुम्बकीय प्रभाव : सीधा तार कुंडली और सोलेनॉयड : विद्युत चुम्बक, विद्युत घंटी ।

चुम्बकीय क्षेत्र में चालक वाली धारा पर बल; चल कुंडली धारामापी, ए-मीटर या वोल्टमीटर परिवर्तन ।

धारा के रासायनिक प्रभाव : प्राथमिक और स्टोरेज सेल में रासायनिक क्रिया-विधि विद्युत अपघटन के नियम ।

विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा सरल ए. सी. तथा डी. सी. जनित्र । ट्रांसफार्मर । अपघटन कुंडली ।

कैथोड किरणें, एलेक्ट्रान की खोज, परमाणु का बोहर मॉडल डायोड और परिशोधक के रूप में, इसके उपयोग ।

एक्स-किरणों का उत्पादन, गुण और उपयोग ।

रेडियोधर्मिता—एल्फा, बीटा और गामा किरणें ।

नाभिकीय ऊर्जा, विखंडन और संलयन : द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन श्रृंखला अभिक्रिया ।

रसायन विज्ञान (कोड सं. 04)

भौतिकी रसायन विज्ञान :

1. परमाणु संरचना, संक्षेप में पूर्ण माडल । क्रिमिक माडल के रूप में परमाणु। कक्षाएं परिसंकल्पना । क्वांटम, संख्या और उनकी विशेषता : केवल आरंभिक । अभिक्रिया । पाली का अपवर्जन सिद्धांत । इलेक्ट्रोनिक विन्यास अफल सिद्धांत एस. पी. डी. और एफ. ब्लाक तत्व ।

आवर्ती वर्गीकरण :—केवल दीर्घ रूप । आवर्त और इलेक्ट्रोनिक विन्यास परमाणु अनुपात । आवर्तक और ग्रुपों में विद्युत ऋणात्मकता ।

2. रासायनिक आबंधन, इलैक्ट्रोलेंट, कोवलेंट कोर्डिनेट, की वलेंट बंधन । आ. तथा एक्स. । बंधनों के बंधन गुण, जल, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और अमोनियम क्लोराइड जैसे सरल अणुओं के आकार । मोलेक्यूलर संबंध और हाइड्रोजन आबंधन ।

3. रासायनिक अभिक्रिया, ऊर्जा परिवर्तन, उष्मा उन्मोची और उष्माशोषी अभिक्रिया । उष्मागतिकी के प्रथम नियम का प्रयोग । स्थिर उष्मा संकलन की हेस का नियम ।

4. रासायनिक संतुलन और अभिक्रिया की दरें । द्रव्यमान व क्रिया का नियम । दबाव के प्रभाव । तापमान और अभिक्रिया दर पर केन्द्रीयकरण (ला चेटलियर के सिद्धान्त पर आधारित गुणात्मक अभिक्रिया) आणविकता प्रथम तथा द्वितीय क्रम अभिक्रियाएं । संक्रियमण का ऊर्जा परिकल्पना । अमोनिया और सल्फर ट्राइआक्साइड के निर्माण के लिए प्रयोग ।

5. विलयन वास्तविक विलयन, कोलोयडल विलयन और स्थगन । इन विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म और विलीन पदार्थों के अणु भार निश्चित करना । क्वथन बिंदुओं का उन्नयन हिमांक

मूलवादग । अस्मेट दबाव । राल्ट का नियम (केवल अनुष्मागतिकी अभिक्रिया) ।

6. विद्युत रसायन विज्ञान :—विद्युत अपघटन । विद्युत अपघटन का फैराडे नियम । आयमी संचलन । घलनशीलता उत्पाद । प्रबल तथा क्षीण अपघटन । अम्ल तथा बेस (लोबल तथा यूनिस्टाड की परिकल्पना) पी. एच. तथा उभय प्रतिरोधी किलयन ।

7. आक्सीजन अपचयन :—आधुनिकी इलेक्ट्रानिक परिकल्पना और आक्सीजन अंक ।

8. प्राकृतिक और कृत्रिम विघटनामिकता :—नाभिकीय विखंडन और संलयन । विघट नाभिक समस्थानिकों के उपयोग अकार्यनिक रसायन विज्ञान ।

अजैव रसायन विज्ञान :

तत्वों का संक्षिप्त अभिक्रिया और उनके औद्योगिकीय महत्वपूर्ण मिश्रण ।

1. हाइड्रोजन : अवात तालिका में स्थित हाइड्रोजन का समस्थानिक—गुणात्मक तथा घनात्मक विद्युत । जल, कठोर तथा मृद जल, उद्योगों में जल का उपयोग । भारी पानी और इसके उपयोग ।

2. ग्रुप 1 तत्व । सोडियम हाइड्रोआक्साइड का विनर्माण सोडियम कार्बोनेट । सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम फ्लोसाईड ।

3. ग्रुप 2 तत्व । आक्षा तथा बुझा हुआ चूना । जिप्सम । प्लास्टर आफ पेरिस । मैग्नीशियम सल्फेट और मैगनीशिया ।

4. ग्रुप 3 बोरक्स, एलमिया तत्व और एलम ।

5. ग्रुप 4 तत्व । कोयला, लकड़ी तथा ठोस ईंधन । सिलिकेट, जोलिटिस तथा अर्द्ध सुचालक । शीशा (प्रारम्भिक अभिक्रिया) ।

6. ग्रुप 5 तत्व । अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल का विनिर्माण । शैल फास्फेट और रिजाघट दियासलाई ।

7. ग्रुप 6 तत्व । हाइड्रोजन और आक्साइड, गंधक सल्फ्यूरिक अम्ल की उपरूपता गंधक के आक्साइड ।

8. ग्रुप 7 तत्व । फ्लुरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का निर्माण तथा उपयोग । हाइड्रोक्लोरिक एसिड । ब्लीचिंग पाउडर ।

9. ग्रुप 0 (उत्कृष्ट गैस हीलियम और इसके उपयोग) ।

10. धातुकर्मीय संसाधक—तांबा, लोहा, एल्युमिनियम । चांदी, सोना, जस्त तथा सीसे के विशिष्ट संदर्भ के साथ धातुओं को निकालने की सामान्य पद्धतियां । इन धातुओं की सर्वनिष्ट मिश्र धातु : निकिल मैंगनीज इस्पात ।

कार्बनिक रसायन विज्ञान

1. कार्बन का टेट्राहेड्रल स्वरूप । संस्करण जी. एन. बंधन तथा उनकी सापेक्षित शक्ति । जल तथा बहुबंधन अणु का आकार । ज्योमितीय तथा प्रकाशीय समावयवता ।

2. एलकेन, एलकीम और एल्फिलीन के तैयार करने के गुणधर्मी और अभिक्रियाओं की सामान्य पद्धतियां । पेट्रोलियम और इसका परिष्करण, ईंधन के रूप में इसके उपयोग ।

एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन :—

अनुवाद और एरोमैटिकता । बेन्जीन तथा नेफ्थालीन और उसके साम्य एरोमैटिक प्रतिस्थापन अक्रिक्रियाएं ।

3. हैलोकीन व्युत्पत्तियां, क्लोरोफार्म कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोबेनजीन—डी. डी. टी. और गमक्सीन ।

4. हाइड्राक्सी मिश्रण—प्राथमिक और द्वितीय और तृतीयक एल्कोहल, मिथनोल, एथनोल, ग्लासरोल और फिनाल के तैयार करने, गुणधर्म उपयोग । एलिफेटिक कार्बन अणु पर प्रतिस्थापना अभिक्रियाएं ।

5. प्रवर—डाइथाइल ईथर ।

6. एल्डीहाइड्स और केन्टास । फार्मलडीहाइड । एसीटेलाइज पेनेल्डाइड, एसीटीन एस्साटाफीनोल ।

7. नाइट्रो योगक एमीन, नाईट्रोबेन्जीन, डी. एन. टी. । एनीलाम डाइजीनियम योगिक । एजोडाइज ।

8. कार्बाक्सीलिक अम्ल : फोर्मीक, एसीटिक, बेनजोइक और सेलिसिलिक अम्ल, एसीटाइल सेलिसिलिक अम्ल ।

9. एसटर एथालरोसीटड, मिथाइल, सेलीसिलेट्स, इथाइल बंजार ।

10. पालीमर्स : पोलीथीन टफलान, पर्सापेक्स, कृत्रिम रबड़, नायलान और पोलिस्टलस ।

11. कार्बोहाइटस, वसा और लिपीडस, एमीनी अम्ल और प्रोटीन विटामिन और हर्मोन्स का असंरचनात्मक अभिक्रिया ।

गणित—1 (कोड सं.-05)

बीज गणित

अंक प्रणाली—वास्तविक अंक । पूर्णांक। परिमेय और अपरिमेय तथा उसके प्रारम्भिक गुणधर्म ।

प्रारम्भिक अंक सिद्धान्त—विभाजा, लंगोरिथम विधि ।

अभाज्य और संयुक्त संस्थाएं, गणित तथा गुणनखंड-गुणनखंड प्रमेय । महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समावर्त्य युक्लीवोन एल्गोरिथ्मस ।

लघु-गुणक और उसका प्रयोग ।

आधारी सक्रिया : सरल गुणनखंड । बहु-पदों का महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समावर्त्य । विघाती समीकरणों का हल, इसके हल और गुणांक में संबंध ।

भाजिक एल्गोरिथम ।

सूचकों के नियम ए. पी. और जी. टी. ज्यामितीय श्रेणियों और उसका आवर्ती दशमलव भिन्न में प्रयोग ।

क्रमचय और सन्तोनन । धनात्मक पूर्णांक सूचक के लिए द्विपद परिमेय । सन्निकटन के लिए परिमय सूचकों के लिए द्विपद प्रमेय का प्रयोग ।

युगपत रोगक समीकरण (तीन अज्ञात संख्यकों तक) और उनके हल । एक्स 1, एक्स^2 और एक्स^3 पर वाई के दिए हुए मूल्यों के लिए द्विपाती वक्र—वाई=ए. + बी.एक्स + सी. । एक्स^2 का संयोजन ।

युग्वत रैखिक असमिक (दो अज्ञात संख्याओं) में उनका ग्राफ 2×2 मैट्रोसिज और प्रारम्भिक संक्रिया । तत्समक आव्यूह । 3 में अधिक क्रम का आव्य निश्चयन का विषय ।

आरम्भिक विस्तार कलन

समकल आकृति का क्षेत्रफल । घनों पिरामिडों, लम्ब वृतीय बेलनों के आयतन और धरातल—शंकु और गालक ।

त्रिकोणमिति

कोण और उनकी कोटियां और रेडियन में माप । त्रिकोणमिति अनुपात । योग के सूत्र । कोणों के अपवर्त्यों और अपवर्तकों के साइन की लाइन और टनजेन्ट । सान की लाइन और टनजेन्ट का अवर्तित और ग्राफ । सरल ऊंचाई और दूरी के सरल प्रश्न ।

त्रिकोणमितीय समीकरणों का हल ।

ऊंचाई और दूरी के सरल प्रश्न ।

विश्लेषक ज्यामितिय

समतल में रेखा का समीकरण । प्रथम कोटि की सामान्य समीकरण । दो रेखाओं के बीच कोण । समान्तार और लंबीय रेखाएं ।

दो सीधी रेखाओं का कार्टिशियन समीकरण ।

वृत का समीकरण । सामान्य समीकरण । वत के स्पर्शी और सामान्य समीकरण । दो वृत्तों के मूलाक्ष । वृत्तकल ।

परवलय दीर्घवत्त और अतिपरवलय का नक भी रण । वक्र पर किसी बिंदु पर स्पर्शी और सामान्य समीकरण ।

गणित-2 (कोड सं. 06)

कलन (अवकलन और पूर्णांक)

उदाहरणों द्वारा वास्तविक फलन और उसके ग्राफ । संयुक्त और व्युत्क्रम फलन वास्तविक फलनों का बीजगणित परिमेय और त्रिकोणमित्य फलनों के उदाहरण और फल-फलन ।

सीधा धारण और फलन और योगस्तर का सामान्य फलनों की उत्पत्ति और भागफल ।

किसी बिंदु पर फलन का व्युत्पन्न । परिवर्तन का तात्क्षणिक दर के रूप में व्युत्पन्न और वक्र का ढाल ।

फलनों के योग, अंतर गुणनफल और भागफल की व्युत्पत्तियां, संयुक्त फलनों और 1-1 फलनों के व्युत्क्रम की व्युत्पत्तियां । बहुपद फलनों, परिमर फलनों, अपवर्तक फलनों, त्रिकोणमितीय फलनों और व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलनों की व्युत्पत्तियां ।

फलनों का आद्य दृधीर अनिश्चित पूर्णांक

सरल मामलों में आद्य की परिगणन (सरल) प्रतिस्थापन द्वारा और अंशतः समेकन ।

यांत्रिकी (संदिज पद्धतियों की अनुमति होगी) ।

स्थितिकी बल का निरूपणबल समान्तर चतुर्भुज । बल का संयोजन और विभेदन और समदिश और विपरीत बल आघूर्ण बल युग्म । संतुलन के प्रतिबधसंगामी (बल और समतलीय बल 4 के अधिक नहीं) ।

बल त्रिभज

सरल पिंडों का गुरत्व केन्द्र ।

कार्य और शक्ति । सरल यन्त्र (लीवर, घिरनी तत्व गियर) ।

गतिकी : कण का विस्थापन गति वेग और त्वरण । सत् त्वरण के अंतर्गत, सीधी रेखा में गति । प्रक्षेपी से संबंध सरल प्रश्न । एक रस्सी से बंधे दो द्रव्यमानों की गति । ऊर्जा विनियम ।

मनोवैज्ञानिक परीक्षण (कौ सं. 07)

प्रश्न इस प्रकार के होंगे जिनमें उम्मीदवारों को बुनियादी जानकारी और यांत्रिक अभिरुचि का मूल्यांकन हो सके ।

व्यक्तिगत परीक्षण

प्रत्येक उम्मीदवार का एक ऐसे बोर्ड द्वारा साक्षात्कार किया जाएगा जिसके सामने उम्मीदवार के शैक्षिक तथा बाहरी दोनों प्रकार के जीवन वृत का अभिलेख होगा । उसमें सामान्य हित के मामलों से संबद्ध प्रश्न पूछे जाएंगे । उनके नेतृत्व में पहल-शक्ति और बौद्धिक उत्सुकता व्यवहार कुशलता और अन्य सामाजिक गुणों, मानसिक और शारीरिक शक्ति व्यवहारिक प्रयोग की शक्ति और चरित्र की सत्यनिष्ठा के गुणों का मूल्यांकन करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा ।

परिशिष्ट—2

यांत्रिक इंजीनियरों की भारतीय रेल सेवा में नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा के लिए विनियम ।

ये विनियम उम्मीदवारों की सुविधा और उनके अपेक्षित शारीरिक स्तर की संभाव्यता को सुनिश्चित करने के लिए प्रकाशित किए जाते हैं । विनियमों का उद्देश्य स्वास्थ्य परीक्षकों और उन उम्मीदवारों का मार्गदर्शन भी करना है जो विनियमों में निर्धारित न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते और जिन्हें स्वास्थ्य परीक्षकों द्वारा योग्य घोषित नहीं किया जा सकता है । किन्तु यदि कोई उम्मीदवार इन विनियमों में दिए गए नियमों के अनुसार योग्य नहीं है तो भी चिकित्सा बोर्ड को भारत सरकार को उसकी अभ्यंसा करने का अधिकार होगा जिसके लिए बोर्ड

इस आशय के लिखित कारणों का उल्लेख करेगा कि अमुक उम्मीदवार सरकार को हानि के बिना सेवा में भर्ती किया जा सकता है।

यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि भारत सरकार के चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद किसी भी उम्मीदवार को अस्वीकृत या स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा।

1. नियुक्ति के लिए स्वस्थ ठहराए जाने के लिए यह जरूरी है कि उम्मीदवारों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो और उनमें कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिससे नियुक्ति के साथ दक्षतापूर्ण काम करने में बाधा पड़ने की संभावना हो।

2. (क) भारतीय (एंग्लो इण्डियन सहित) जाति के उम्मीदवारों की आयु, ऊंचाई और छाती के घेरे के परस्पर संबंध के बारे में मेडिकल बोर्ड के ऊपर यह छोड़ दिया गया है कि वह उम्मीदवारों की परीक्षा में मार्गदर्शन के रूप में जो भी परस्पर संबंध के आंकड़े सबसे उपयुक्त समझें, व्यवहार में लाए। यदि वजन, कद और छाती के घेरे में विषमता हो तो जांच के लिए उम्मीदवार को अस्पताल में रखना चाहिए और उसकी छाती का एक्स-रे लेना चाहिए। ऐसा करने के बाद ही कोई बोर्ड उम्मीदवार को स्वस्थ अथवा अस्वस्थ घोषित करेगा।

(ख) किन्तु कद और छाती के घेरे के लिए कम से कम मानक निम्नलिखित है। जिसके बिना पूरा उतरने पर उम्मीदवार स्वीकार नहीं किया जा सकता :—

	कद		छाती का फैलाव (पूरा फैलाकर)
	सें० मी०	सें० मी०	सें० मी०
पुरुष उम्मीदवारों के लिए	162	84	5
महिला उम्मीदवारों के लिए	150	79	5

अनुसूचित जनजातियों तथा गोरखाओं, गढ़वालियों, असमियों, नागालैण्ड के आदिवासियों आदि जैसी जातियों जिनका औसत कद स्पष्टतः ही कम होता है की उम्मीदवारों के मामले में भी निर्धारित न्यूनतम कद में छूट दी जा सकती है।

3. उम्मीदवार का कद निम्नलिखित विधि से मापा जाएगा :—

वह अपने जूते उतार देगा और उसे मापदण्ड (स्टैण्डर्ड) के साथ इस प्रकार सटाकर खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव आपस में जुड़े रहें और उसका वजन सिवाय एड़ियों के पांवों के अंगूठों या किसी हिस्से पर न पड़े। वह बिना अकड़े सीधा खड़ा होगा और उसकी एड़ियां, पिण्डलियां, नितम्ब और कन्धे मापदण्ड के साथ लगे होंगे। उसकी ठोढ़ी नीचे रखी जाएगी ताकि सिर का स्तर (वर्टेक्स आफ दी हैड लेवल) हारिजेंटल बार (आड़ छड़) के नीचे आए। कद सेंटीमीटरों और आधे सेंटीमीटरों में मापा जाएगा।

4. उम्मीदवारों की छाती मापने का तरीका इस प्रकार है :—

उसे इस भांति खड़ा किया जाएगा कि उनके पांव जुड़े हों और उसकी भुजाएं सिर के ऊपर खड़ी हों। फीते को छाती के गिर्द इस तरह लगाया जाएगा कि उसका ऊपरी किनारा असफलक (शोल्डर ब्लेड) के निम्न कोणी (इन्फीरियर एंगिल्स) के पीछे रहे और यह फीते उसकी छाती के गिर्द के जाने पर (आड़े समतल उसी हारिजेंटल प्लेन) में रहे। फिर भुजाओं को नीचे किया जाएगा। और उन्हें शरीर के साथ लटका रहने दिया जाएगा। किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कन्धे ऊपर या पीछे की ओर न किए जाएं ताकि फीता अपने स्थान से हट न जाए। तब उम्मीदवार को कई बार गहरी सांस लेने के लिए कहा जाएगा तथा छाती के अधिक से अधिक फैलाव पर सावधानी से ध्यान दिया जाएगा और कम से कम अधिक में अधिक फैलाव सेंटीमीटरों में रिकार्ड किया जाएगा। जैसे 84-89, 86-93 आदि। माप रिकार्ड करते समय आधा सेंटीमीटर से कम भिन्न-फैक्शन को नोट नहीं करना चाहिए।

विशेष ध्यान —अंतिम निर्णय से पूर्व उम्मीदवार का कद और छाती दो बार मापे जाने चाहिए।

5. उम्मीदवार का वजन किया जायेगा और यह किलोग्राम में होगा। आधा किलोग्राम या उसका अंश नोट नहीं करना चाहिए।

6. उम्मीदवार की नजर की जांच निम्नलिखित नियमों के अनुसार की जाएगी। प्रत्येक जांच का परिणाम रिकार्ड किया जाएगा।

(1) सामान्य (जनरल)—किसी रोग या असामान्यता एबनार्मिलिटी का पता लगाने के लिए उम्मीदवार की आंखों की सामान्य परीक्षा की जाएगी। यदि उम्मीदवार को आंखों, पलकों अथवा साथ लगी संरचनाओं (कान्टिगुअस स्टेक्चर) का कोई रोग हो जो उसे अब या आगे किसी समय सेवा के लिए अयोग्य बना सकता हो तो उसको अस्वीकृत कर देना चाहिए।

(2) दृष्टि तीक्ष्णता (विजुअल एक्यूटी) :—दृष्टि की तीक्ष्णता का निर्धारण करने के लिए दो तरह की जांच की जाएगी। एक दूर की नजर के लिए और दूसरी नजदीक की नजर के लिए। प्रत्येक आंख की अलग-अलग परीक्षा की जाएगी।

चश्मे के बिना आंख की नजर (नेकेड आई विजन) की कोई न्यूनतम सीमा (मिनिमम लिमिट) नहीं होगी, किन्तु प्रत्येक माप में मेडिकल बोर्ड या अन्य मेडिकल प्राधिकारी द्वारा इसे रिकार्ड किया जाएगा, क्योंकि इससे आंख की हालत के बारे में मूल सूचना (बेसिक इन्फारमेशन) मिल जाएगी।

उम्मीदवार की उपकरण से परीक्षा की जायेगी और उसकी दृष्टि सूक्ष्मता रेलवे बोर्ड की चिकित्सा अधिकारियों की

स्थायी सलाहकार समिति द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार की जाएगी ।

विशेष ध्यान—नीचे निर्धारित स्तर को जो उम्मीदवार पूरा नहीं करेंगे उन्हें नियुक्ति हेतु स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

चश्मे के साथ और चश्मे के बिना दृष्टि सुतीक्ष्णता का मानक निम्नलिखित होगा :—

	दूर की दृष्टि		निकट की दृष्टि	
	अच्छी आंख	खराब आंख	अच्छी आंख	खराब आंख
35 वर्ष से कम आयु वाले उम्मीदवारों के लिए	6/6 अथवा 6/9	6/12 अथवा 6/9	जे–I	जे–II

टिप्पणी (1)

(क) मायोपिया (सिलेण्डर सहित) कुल (—4.00डी.) से अधिक नहीं होना चाहिए ।

(ख) हाइपरमेट्रोपिया (सिलेण्डर सहित) कुल (+4.00 डी.) से अधिक नहीं होना चाहिए ।

(ग) मायोपिया फंडस के प्रत्येक मामले में परीक्षा की जानी चाहिए और उसका परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए । यदि उम्मीदवार की ऐसी रोगात्मक दशा हो जो कि बढ़ सकती है और उम्मीदवार की कार्यकुशलता पर प्रभाव डाल सकती है, तो उसे अयोग्य घोषित किया जाए ।

टिप्पणी (2)

कलर विजन—कलर विजन की जांच जरूरी है और समस्त उम्मीदवारों के सम्बन्ध में परिणाम सामान्य होना चाहिए। लाल संकेत, हरे संकेत और सफेद रंग के संकेत के प्रभाव से और हिचकिचाहट के बिना पहचान कर लेना संतोषजनक कलर विजन है । कलर विजन जांच के लिए इशिहारों की प्लेटों और एडिग्रीन जैसी दोनों मटन का प्रयोग होगा ।

नीचे दी गई तालिका के अनुसार रंग का प्रत्यक्ष ज्ञान उच्चतर हायर और निम्नतर (लोअर) ग्रेडों में होना चाहिए जो लैंटर्न में एपर्चर के आकार पर निर्भर होगा ।

ग्रेड	रंग के प्रत्यक्ष ज्ञान का उच्चतर ग्रेड	रंग के प्रत्यक्ष ज्ञान का निम्नतर ग्रेड
1. लैम्प और उम्मीदवार के बीच की दूरी	16 फीट	16 फीट
2. द्वारक (एपर्चर) का आकार	13 मी० मीटर	13 मी० मीटर
3. उदभासन काल	5 सेकण्ड	5 सेकण्ड

स्पेशल क्लास के लिए रंग के प्रत्यक्ष ज्ञान का उच्चतर ग्रेड आवश्यक है ।

टिप्पणी (3)

दृष्टि क्षेत्र (फील्ड आफ विजन)—सभी सेवाओं के लिए सम्मुखन विधि (कन्फेन्टेशन मैथड) द्वारा यूनिट दृष्टि क्षेत्र की जांच की जाएगी । जब ऐसी जांच का नतीजा असंतोषजनक या संदिग्ध हो तब दृष्टि क्षेत्र की (परमापी पैरामीटर) पर निर्धारित किया जाना चाहिए ।

टिप्पणी (4)

रतौंधी (नाइट ब्लाइण्डनेस)—केवल विशेष मामलों को छोड़कर रतौंधी की जांच नेमी रूप से जरूरी नहीं है । रतौंधी में दिखाई न देने की जांच करने के बाद कोई स्टैन्डर्ड टैस्ट निश्चित नहीं है । मेडिकल बोर्ड को ही ऐसे काम चलाऊ टैस्ट कर लेने चाहिए। जैसे रोशनी कम करके या उम्मीदवार को अन्धेरे कमरे में लाकर 20 से 30 मिनट के बाद उससे विविध चीजों की पहचान करवा कर दृष्टि तीक्ष्णता रिकार्ड करना । उम्मीदवार के कहने पर ही हमेशा विश्वास नहीं करना चाहिए किन्तु उन पर उचित विचार किया जाना चाहिए ।

टिप्पणी (5)

दृष्टि से तीक्षणता से भिन्न आंख की दशा आक्युलर कंडीशन :—

(क) आंख की अंग संबंधी बिमारी को या बढ़ती हुई अपवर्धन त्रुटि (रिफ्रैक्टिव एरर) जिसके परिणामस्वरूप दृष्टि की तीक्षणता को कम न होने की संभावना हो, अयोग्यता के कारण समझा जाना चाहिए ।

(ख) भैंगापन—जहां दोनों आंख की दृष्टि का होना जरूरी है भैंगापन अयोग्यता माना जाएगा चाहे दृष्टि की तीक्षणता निर्धारित स्तर की हीं क्यों न हो ।

(ग) एक आंख वाला व्यक्ति—एक आंख वाला व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

टिप्पणी (6)

कान्टैक्ट लैंस—चिकित्सा परीक्षा के दौरान उम्मीदवार को कान्टैक्ट लैंस का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह आवश्यक है कि आंख का परीक्षण करते समय दूर की दृष्टि के लिए टाइप अक्षरों की प्रदीप्ति 15 फुट कन्डिल की प्रदीप्ति जैसी हो । विशेष परिस्थितियों में किसी उम्मीदवार के सम्बन्ध में किसी भी शर्त को शिथिल करने की छूट सरकार को है ।

7. रक्त दाब (ब्लड प्रेशर)

ब्लड प्रेशर के सम्बन्ध में बोर्ड अपने निर्णय से काम लेगा नार्मल मैक्सीमम सिस्टालिक प्रेशर के आकलन की काम चलाऊ विधि निम्न प्रकार है :—

(1) 15 से 25 वर्ष के युवा व्यक्तियों में औसत ब्लड प्रेशर लगभग 100 जमा आयु होता है ।

(2) 25 के ऊपर की आयु वाले व्यक्ति में ब्लड प्रेशर के आकलन में 110 जमा आधी आयु का सामान्य नियम बिल्कुल संतोषजनक दिखाई पड़ता है ।

विशेष ध्यान—सामान्य नियम के रूप में 140 एम. एम. के ऊपर सिस्टालिक प्रेशर और 90 एम. एम. के ऊपर डायस्टालिक प्रेशर को संदिग्ध मान लेना चाहिए और उम्मीदवार को अयोग्य या योग्य ठहराने के संबंध में अपनी अंतिम राय देने से पहले बोर्ड को चाहिए कि उम्मीदवार को अस्पताल में रखे । अस्पताल में रखने की रिपोर्ट से यह पता लगाना चाहिए कि घबराहट (एक्साइटमेंट) आदि के कारण ब्लड प्रेशर थोड़े समय रहने वाला इसका कारण कायिक (आर्गेनिक) बीमारी है । ऐसे सभी मामलों में हृदय का एक्सरे और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जांच और रक्त यूरिया निकास (क्लियरेंस) की जांच की भी नेमी तौर पर की जानी चाहिए । फिर भी उम्मीदवार के योग्य होने या न होने के बारे में अन्तिम फैसला केवल मेडिकल बोर्ड ही करेगा ।

ब्लड प्रेशर (रक्त दाब) लेने का तरीका

नियमत: पारे वाले दाब मापी (मरकरी मेनोमीटर) किस्म का उपकरण (इन्स्ट्रूमेंट) इस्तेमाल करना चाहिए । किसी किस्म के व्यापार या घबराहट के बाद पंद्रह मिनट तक रक्त दाब नहीं होना चाहिए । रोगी बैठा हो या लेटा हो बशर्ते कि वह और विशेषकर उसकी बांह शिथिल और आराम से हो । यहां थोड़ी बहुत हॉरिजेंटल स्थिति में रोगी के पार्श्व पर हो तथा उसके कन्धे से कपड़ा उतार देना चाहिए । कफ में से पूरी तरह हवा निकाल कर बीच में रबड़ भुजा के अन्दर की ओर रखकर और उसके निचले किनारे को कोहनी के मोड़ से एक या दो इंच ऊपर करके लगाना चाहिए। इसके बाद कपड़े की पट्टी को फैलाकर समान रूप से लपेटना चाहिएं ताकि हवा भरने पर कोई हिस्सा फूल कर बाहर न निकले ।

कोहनी के मोड़ पर बांह धमनी (ब्रैकिजल आर्टरी) को दबा दबा कर ढूंढा जाता है और तब इसके ऊपर बीचों-बीच स्टेथोस्कोप को हल्के से लगाया जाता है । जो कफ के साथ न लगे । कफ में लगभग 200 एम. एम. जी. हवा भरी जाती है इसके बाद इसमें धीरे-धीरे हवा निकाली जाती है । हल्की क्रमिक ध्वनियां सुनाई पड़ने पर जिस स्तर पर पारे का कालम टिका होता है वह सिस्टालिक प्रेशर दर्शाता है और जब हवा निकाली जाएगी तो और तेज ध्वनियां सुनाई पड़ेंगी । जिस स्तर पर साफ और अच्छी सुनाई पड़ने वाली ध्वनियां हल्की दबी हुई सी लुप्त प्राय: हो जाए वह डायस्टालिक प्रेशर है । ब्लड प्रेशर काफी थोड़ी अवधि में ही लेना चाहिए क्योंकि कफ से लंबे समय का दबाव रोगी के लिए क्षोभकारी होता है और इससे रीडिंग गलत होती है । यदि दोबारा पड़ताल करनी जरूरी है तो कफ में से पूरी हवा निकाल कर कुछ मिनट के बाद ही ऐसा किया जाए। (कभी-कभी कफ में से हवा निकालने पर एक निश्चित स्तर तक ध्वनियां सुनाई पड़ती है, दाब गिरने पर ये गायब हो जाती हैं तथा निम्नस्तर पर पुन: प्रकट हो जाती हैं । इस "साइलेंट गैप" से रीडिंग गलत हो सकती है) ।

8. परीक्षक की उपस्थिति में किए गए मूत्र की भी परीक्षा की जानी चाहिए और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए । जब मेडिकल बोर्ड को किसी उम्मीदवार के मूत्र में रसायनक जांच द्वारा शक्कर का पता चले तो बोर्ड इसके सभी पहलुओं की परीक्षा करेगा और मधुमेह (डायबिटीज) के द्योतक चिह्न और लक्षणों को भी विशेष रूप से नोट करेगा । यदि बोर्ड उम्मीदवार को गुलूकोज मेह (ग्लाइकोसूरिया) के सिवाय अपेक्षित मेडिकल फिटनेस के स्टेण्डर्ड के अनुरूप पाए तो वह उम्मीदवार को इस शर्त के साथ फिटनेस घोषित कर सकता है कि ग्लूकोज मेह अमधुमेही (नान डायबेटिक) है और इस बोर्ड का केस मेडिकल फिटनेस के स्टेण्डर्ड के अनुरूप पाए तो वह उम्मीदवार के पास अस्पताल और प्रयोगशाला की सुविधाएं हों । मेडिकल विशेषज्ञ स्टेण्डर्ड ब्लडशुगर टालरेंस टेस्ट समेत जो भी क्लिनिकल लेबोरेटरी परीक्षाएं जरूरी समझेगा, करेगा और अपनी रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को भेज देगा जिस पर मेडिकल बोर्ड की "फिट" "अनफिट" की अंतिम राय आधारित होगी । दूसरे अवसर पर उम्मीदवार के लिए बोर्ड के सामने स्वयं उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा । औषधि के प्रभाव को समाप्त करने के लिए यह जरूरी हो सकता है कि उम्मीदवार को कई दिन तक अस्पताल में देख-रेख में रखा जाए ।

9. यदि जांच के परिणाम कोई महिला उम्मीदवार 12 हफ्ते या उससे अधिक समय की गर्भवती पाई जाती है तो उसको अस्थाई रूप से तब तक अस्वस्थ घोषित किया जाना चाहिए जब तक कि उसका प्रसव पूरा न हो जाए । किसी रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी का स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर प्रसूती की तारीख से 6 हफ्ते बाद आरोग्य प्रमाण पत्र के लिए उसकी फिर से स्वास्थ्य परीक्षा की जानी चाहिए ।

10. निम्नलिखित अतिरिक्त बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए :—

(क) उम्मीदवार को दोनों कानों से अच्छा सुनाई पड़ता है और उसके कान में बीमारी का कोई चिह्न नहीं है और उसके कान में बीमारी का कोई चिन्ह नहीं परीक्षा कान विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिए । यदि सुनने की खराबी का इलाज शल्य क्रिया (आपरेशन) न हियरिंगएड के इस्तेमाल से हो सके तो उम्मीदवार को इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता बशर्ते कि कान की बीमारी बढ़ने वाली न हो।

चिकित्सा परीक्षा अधिकारी के मार्ग दर्शन के लिए इस सम्बन्ध में निम्नलिखित मार्ग-दर्शन जानकारी दी जाती है :—

(1)	एक कान में प्रकट अथवा पूर्ण हो बहरापन दूसरा कान सामान्य	स्पेशल क्लास अप्रेन्टिस पदों पर नियुक्ति के लिए अयोग्य ।
(2)	दोनों कानों में बहरापन का प्रत्यक्ष बोध जिसमें श्रवण के लिए यन्त्र (हियरिंग एड) कुछ सुधार सम्भव हो।	स्पेशल क्लास अप्रेन्टिस पदों पर नियुक्ति के द्वारा अयोग्य।

(3)	सेन्ट्रल अथवा मार्जिनल टाइप के टिमपेनिक मैम्बन का छिद्र	कर्ण पटल का कोई छिद्र ठीक न हो तो अयोग्य किन्तु विक्षम भाव का निशान अयोग्यता का कारण नहीं माना जाएगा ।
(4)	कान के एक ओर दोनों ओर मस्टाइट कैविटी से सबनार्मल श्रवण ।	स्पेशल क्लास अप्रेन्टिसज के पदों के लिए अयोग्य ।
(5)	बहते रहने वाला आपरेशन किया गया बिना आपरेशन किया गया ।	तकनीकी और गैर–तकनीकी पदों के लिए अस्थाई रूप से अयोग्य ।
(6)	नासापुट की हड्डी सम्बन्धी विषमताओं (बोनी डिफार्मिटी) सहित अथवा उससे रहित नाक के जीर्ण प्रवाहक आलिंजिक दशा ।	(1) प्रत्येक मामले का परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा (2) यदि लक्षणों सहित नासापुट अफसर विद्यमान हो तो अस्थाई रूप से अयोग्य
(7)	टांसिल्स और अथवा स्वर यंत्र (लारि) की जीर्ण प्राहक दशा ।	(i) टांसिल्स और अथवा स्वर यंत्र की जीर्ण प्रवाहक दशा योग्य । (ii) यदि आवाज में अत्यधिक कर्कशता विद्यमान हो तो अस्थाई रूप से अयोग्य ।
(8)	कान नाक गले (ई० एन० टी०) के हल्के अथवा अपने स्थान पर युदमटयुमर ।	(i) हल्का ट्यूमर अस्थाई/स्थाई रूप से अयोग्य । (ii) तुदर्भ ट्यूमर अयोग्य श्रवण यंत्र की सहायता से या आपरेशन के बाद 30 डेसों–बेस श्रवणता के अन्दर होने पर योग्य ।
(9)	ओस्टोकिनरोसिस	स्पेशल क्लास अप्रेन्टिसेज के लिए अयोग्यआपरेशन के बाद श्रवण सहायक यंत्रों की सहायता से सुनाई देने की मात्रा 30 डेसिबिल के अन्दर होने पर स्वस्थ ।
(10)	कान, नाक अथवा गले के जन्मजात दोष ।	(i) यदि काम काज में बाधक न हो तो योग्य । (ii) भारी मात्रा में हकलाहट हो तो अयोग्य ।
(11)	नजलपोषी	अस्थाई रूप से अयोग्य ।

(ख) उम्मीदवार बोलने में हकलाता/हकलाती नहीं है ।

(ग) उसके दांत अच्छी हालत में हैं या नहीं और अच्छी तरह चबाने के लिए जरूरी होने पर नकली दांत लगे हैं या नहीं (अच्छी तरह भरे हुए दांतों को ठीक समझा जाएगा) ।

(घ) उसकी छाती की बनावट अच्छी है या नहीं और छाती काफी फैलती है या नहीं तथा उसका दिल या फेफड़े ठीक हैं या नहीं ।

(ङ) उसे पेट की कोई बीमारी है या नहीं ।

(च) उसे रपचूर है या नहीं ।

(छ) उसे हाइड्रोसील, बढ़ी हुई बैरिकोसिल, बैरिका (शिरावेन) या बवासीर है या नहीं ।

(ज) उसके अंगों हाथों और पैरों की बनावट और विकास अच्छी है या नहीं और उसकी ग्रंथियां-भांति स्वतंत्र रूप से हिलती हैं या नहीं ।

(झ) उसे कोई चिरस्थाई त्वचा बीमारी है या नहीं ।

(ञ) कोई जन्मजात कुरूपता या दोष है या नहीं ।

(ट) उसमें किसी उग्र या जीर्ण बीमारी के निशान हैं या नहीं जिनमें कमजोर गठन का पता लगे ।

(ठ) कारगार टीके के निशान हैं या नहीं ।

(ड) उसे कोई संचारी (कम्यूनिकेबल) रोग है या नहीं ।

11. दिल और फेफड़ों की ऐसी विलक्षणता का पता लगाने के लिए, जो कि साधारण शारीरिक परीक्षा से ज्ञात न हो, उसी मामलों में नमी रूप से छाती की एक्स-रे परीक्षा की जानी चाहिए ।

कोई रोग मिले तो उसे प्रमाण पत्र में अवश्य ही नोट किया जाए । मेडिकल परीक्षक को अपनी राय लिख देनी चाहिए कि उम्मीदवार से अपेक्षित दक्षतापूर्ण ड्यूटी में इसे बाधा पड़ने की संभावना है या नहीं ।

टिप्पणी (क)—उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि उक्त सेवा के लिए उनकी स्वस्थता निर्धारित करने हेतु नियुक्त चिकित्सा बोर्ड—चाहे बोर्ड विशेष हो या स्थाई हो—के विरुद्ध अपील करने का अधिकार नहीं है, किन्तु फिर भी यदि सरकार पहले बोर्ड के निर्णय में गलती की संभावना के विषय में प्रमाण प्रस्तुत कर दिए जाने पर संतुष्ट हो जाती है तो यह सरकार की इच्छा पर होगा कि वह दूसरे बोर्ड के सामने अपील की इजाजत दे । इस प्रकार का प्रमाण जिस पत्र में उम्मीदवार को पहले चिकित्सा बोर्ड का निर्णय सूचित किया गया है उसकी तारीख से एक मास के अन्दर प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए, अन्यथा दूसरे चिकित्सा बोर्ड को अपील करने के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा ।

यदि किसी उम्मीदवार द्वारा पहले बोर्ड के विनिश्चय में निर्णय सम्बन्धी त्रुटी की संभावना से सम्बद्ध प्रमाण पत्र के रूप में कोई चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसी प्रमाण-पत्र पर तब तक कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा जब इसमें सम्बद्ध चिकित्सा व्यवसायी की इस आशय की टिप्पणी अंकित न हो कि वह टिप्पणी इस तथ्य को पूरी तरह जानते हुए अंकित

की गई है कि उक्त उम्मीदवार चिकित्सा बोर्ड द्वारा सेवा हेतु अयोग्य पाए जाने पर अस्वीकृत कर दिया गया ।

टिप्पणी (ख)—अपीलीय चिकित्सा बोर्ड के बाद कोई अन्य अपील स्वीकार्य नहीं होगी और अपीलीय चिकित्सा बोर्ड का निर्णय फाइनल होगा ।

मेडिकल बोर्ड और उसकी रिपोर्ट

मेडिकल परीक्षक के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित सूचना दी जाती है —

1. शारीरिक योग्यता (फिटनेस) के लिए अपनाए जाने वाले स्टैण्डर्ड में संबंधित उम्मीदवार की आयु और सेवा काल (यदि हो) के लिए गुंजाइश करनी चाहिए ।

2. किसी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सर्विस भर्ती के लिए योग्य नहीं समझा जाएगा जिसके बारे में यथास्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी (अपाइंटिंग अथारिटी) को यह तसल्ली नहीं होगी कि उसे ऐसी कोई बीमारी या शारीरिक दुर्बलता (बाडिली इनफर्मिटी) नहीं है जिससे वह उस सेवा के लिए अरोग्य हो या उसके अयोग्य होने की संभावना है ।

3. यह बात समझ लेनी चाहिए कि योग्यता का प्रश्न भविष्य से भी उतना ही सम्बद्ध है जितना वर्तमान से है और मेडिकल परीक्षा का मुख्य उद्देश्य निरन्तर कारगर सेवा प्राप्त करना और स्थाई नियुक्ति के उम्मीदवार के मामले में अकाल मृत्यु होने पर समय पूर्व पेंशन या अदायगियों को रोकना है । साथ ही यह भी नोट कर लिया जाए कि जहां प्रश्न केवल निरन्तर कारगर सेवा की संभावना का है और उम्मीदवार को अस्वीकृत करने की सलाह उस हालत में नहीं दी जानी चाहिए जबकि कोई ऐसा दोष हो तो केवल बहुत कम स्थितियों में निरन्तर कारगर सेवा में लायक पाया गया हो ।

4. महिला उम्मीदवार की परीक्षा के लिए किसी लेडी डाक्टर को मेडिकल बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जायेगा।

5. डाक्टरी बोर्ड की रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहिए।

6. ऐसे मामलों में जब कि कोई उम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य करार दिया जाता है तो मोटे तौर पर उसके अस्वीकार किये जाने के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उम्मीदवार को बताये जा सकते हैं किन्तु डाक्टरी बोर्ड ने जो खराबी बताई उसका विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया जा सकता ।

7. ऐसे मामले में जहां डाक्टरी बोर्ड का यह विचार हो कि सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार को अयोग्य बनाने वाली छोटी-मोटी खराबी चिकित्सा (औषध या शल्य) द्वारा दूर हो सकती है वहां डाक्टरी बोर्ड द्वारा इस आशय का कथन रिकार्ड किया जाना चाहिए । नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस बारे में उम्मीदवार को बोर्ड की राय सूचित किये जाने में कोई उम्मीदवार को बोर्ड की राय सूचित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है और जब वह खराबी दूर हो जाये तो दूसरे डाक्टरी बोर्ड के सामने उस व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कहने में सम्बन्धित प्राधिकारी स्वतन्त्र है ।

(क) उम्मीदवार का कथन और घोषणा ।

अपनी मेडिकल परीक्षा से पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिखित अपेक्षित स्टेटमेंट देना चाहिए और उनके पास लगी हुई घोषणा (डिक्लेरेशन) पर हस्ताक्षर करने चाहिए । नीचे दिए गए नोट में उल्लिखित चेतावनी की ओर उम्मीदवार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए :—

1. अपना पूरा नाम लिखें :—
(साफ अक्षरों में)

2. अपनी आयु और जन्म स्थान बतायें ।

3. क्या आप गोरखा, गढ़वाली, असमियों जैसी जातियों नागालैण्ड जन-जाति आदि में से किसी से सम्बन्धित हैं जिनका औसत कद दूसरों से कम होता है "हां" या "नहीं" में उत्तर दीजिए । उत्तर "हां" में हो तो उस जाति का नाम बताइए ।

4. (क)क्या आपको कभी चेचक 'रुक-रुक कर होने वाला कोई दूसरा बुखार ग्रंथियां (ग्लैण्ड्स) का बढ़ना या इनमें पीप पड़ना, थूक में खून आना, दमा, दिल की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मूर्छा के दौरे, रूमेटिज्म, एपेंडिसाइटिस हुआ है ।

अथवा

(ख) दूसरी कोई ऐसी बीमारी या दुर्घटना, जिसके कारण शय्या पर लेटे रहना पड़ा हो, और जिसका मेडिकल या सर्जिकल किया गया हो, हुई है ?

5. क्या आप या आपका कोई निकट का सम्बन्धी कभी कन्जम्पशन सीरोफिला गाउट, दमा, दौरे, अपस्मार या पागलपन का शिकार हुआ है ?

6. क्या आपको अधिक काम या किसी दूसरे कारण से किसी किस्म की अधीरता (नर्वसनेस) हुई ?

7. अपने परिवार के सम्बन्ध में निम्नलिखित ब्यौरे दें :—

यदि पिता जीवित हो तो उसकी आयु और स्वास्थ्य की अव ।	मृत्यु के समय पिता की आयु और मृत्यु का कारण	आपके कितने भाई जीवित है उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपके कितने भाईयों की मृत्यु हो चुकी है मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण
1	2	3	4
यदि माता जीवित हो तो उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	मृत्यु के समय माता की आयु और मृत्यु का कारण	आपकी कितनी बहनें जीवित हैं उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपकी कितनी बहिनों की मृत्यु हो चुकी है मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण ।
5	6	7	8

8. क्या इसके पहले किसी मेडिकल बोर्ड ने आपकी परीक्षा की है ?

9. यदि उपर के प्रश्न का उत्तर ''हां'' में हो तो बताइए किस सेवा/किन सेवाओं के लिए आपको परीक्षा की है ?

10. परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी कौन था ।

11. कब और कहां मेडिकल बोर्ड हुआ ?

12. मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि आपको बताया गया हो अथवा आपको मालूम हो ।

मैं घोषित करता हूं कि जहां तक मेरा विश्वास है, उपर दिए गए सभी सवाल सही और ठीक हैं ।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर......

मेरे सामने हस्ताक्षर किए......

बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर......

नोट:—उपर्युक्त कथन की यथार्थता के लिए उम्मीदवार जिम्मेदार होगा। जानबूझकर किसी सूचना को छिपाने से यह नियुक्ति खो बैठने का जोखिम लेगा और यदि वह नियुक्त हो भी जाये तो वार्धक्य निवृति भत्ता (सुपरएनुएशन अलाउन्स) या उपदान (ग्रेच्युटी) के सभी दावों से हाथ धो बैठेगा ।

(ख . . . . (उम्मीदवार का नाम) की शारीरिक परीक्षा करने पर मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट) ।

1. सामान्य विकास : अच्छा . . . .

बीच का . . . . खराब . . . . . .

पोषण : पतला . . . . (औसत) . . . .

मोटा . . . . कद (जूते उतारकर) . . . . . .

वजन . . . . अत्युत्तम वजन . . . . . कब था ?

वजन में कोई हाल ही में हुआ परिवर्तन . . . .

तापमान . . . .

छाती का घेरा . . . .

(1) पूरा सांस खींचने पर . . . .

(2) पूरा सांस निकालने पर . . . .

2. त्वचा—कोई जाहिर बीमारी ।

3. नेत्र :

(1) कोई बीमारी

(2) रतौंधी . . . .

(3) कलर विजन व दोष . . . .

(4) दृष्टि क्षेत्र (फील्ड आफ विजन) . . . .

(5) दृष्टि तीक्षणता (विजुअल एक्वीटी) . . . .

(6) फण्डस की जांच . . . .

दृष्टि की तीक्षणता	चश्मे के बिना	चश्मे से	चश्मे की स्फीसिल पावर एक्सल
दूर की नजर दा.नै.			
बा. नै.			
पास की नजर दा. नै.			
बा. नै.			
हाईपरमीट्रिपिया दा. नै.			
व्यक्त बा. नै.			

4. कान : निरीक्षण . . . . सुनना . . . . .

दायां कान . . . . बायां . . . .

5. ग्रंथियां . . . . थाइराइड . . . . . .

6. दांतों की हालत . . . .

7. श्वसन तन्त्र (रेसपायरेटरी सिस्टम)—क्या शारीरिक परीक्षा करने पर सांस के अंगों में किसी अपसामान्यता का पता लगा ?

यदि पता लगा है तो पूरा ब्यौरा दें . . . .

पारसचरण तंत्र (सक्यूलेटरी सिस्टम)

8. हृदय : कोई आंगिक शिक्षण कार्बनिक सीक्षण—गति (रेट) खड़े होने पर . . . .

25 बार . . . . कुदाएं जाने के बाद

कुदाएं जाने के 2 मिनट बाद . . . .

ब्लड प्रैशर . . . . सिस्टालिक . . . . . .

डायस्टालिक . . . .

9. उदर (पेट) क्षेत्र . . . . . स्पर्श सहायता हर्निया

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

(क) दबा कर मालूम पड़ना/जिगर . . . . . .

तिल्ली . . . . . गुर्दे . . . . . ट्यूमर

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

(ख) स्कतार्श . . . . . .

भगंदर . . . . . .

10. तांत्रिका तंत्र (नर्वससिस्टम) तंत्रिका या मानसिक असामान्यता का संकेत . . . . . .

11. ताल तंत्र (लोकोमोटर सिस्टम) . . . . . कोई अपसामान्यता . . . . . .

12. जनन-मूत्र तंत्र : हाइड्रोसिल, वैरिकोसील आदि का व ई संकेत :—

मूत्र परीक्षा

(क) कैसा दिखाई पड़ता है ?

(ख) अपेक्षित गुरुत्व (स्पेसिफिक ग्रेविटी)

(ग) एल्बूमैन

(घ) शक्कर

(ङ) कास्टस

(च) कोशिकाएं (सेल्स)

13. छाती की एक्सरे परीक्षा की रिपोर्ट ।

14. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात है जिससे वह इस सेवा की ड्यूटी को दक्षतापूर्वक निभाने के लिए अयोग्य हो सकता है ?

नोट : —महिला उम्मीदवार के मामले में, यदि यह पाया जाता है कि वह 12 सप्ताह अथवा उससे अधिक समय से गर्भिणी है तो उसे अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए, देखिए विनियम 9 ।

15. उम्मीदवार परीक्षा पास कर लिए जाने के बाद किन सेवाओं में कार्य के दक्ष सतत निष्पादन हेतु सभी प्रकार से योग्य पाया गया है और किन सेवाओं के लिए अयोग्य पाया गया है ।

स्थान . . . . . .

तारीख . . . . . .

अध्यक्ष . . . . . .

सदस्य . . . . . .

परिशिष्ट 3

इस परीक्षा के आधार पर चुने गए स्पेशल क्लास अप्रेन्टिस हेतु अप्रन्टिसशिप की शर्तें ।

अप्रेन्टिसशिप की शर्तों का उल्लेख इण्डियन रेलवे एस्टेबिलिशमेंट मैनुअल में निर्धारित करार पत्र में कर दिया जाएगा इसका संक्षिप्त निम्न प्रकार है :—

1. स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेन्टिस के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित उम्मीदवार को निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का करार करना होगा कि संतुष्टि के अनुरूप स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेन्टिस का प्रशिक्षण पूरा करने में असफल रहने पर यांत्रिक इंजीनियरों की भारतीय रेलवे सेवा में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में प्रस्तावित नियुक्ति को स्वीकार करने की स्थिति में जो धन उसे दिया गया है या सरकार द्वारा जो धन उस पर खर्च किया गया है, उसको लौटाने के लिए वह तथा उसका एक प्रतिभू संयुक्त रूप में तथा पृथक-पृथक रूप में बाध्य होंगे सरकार को खर्च की राशि के बारे में निर्णय करने का एकमात्र अधिकार होगा ।

अप्रेन्टिस की शुरू में एक चार वर्षीय प्रायोगिकी तथा सैद्धांतिक प्रशिक्षण इस आशय के बाधक अनुबंध पत्र के अंतर्गत लेना होगा कि यदि जरूरत पड़ी तो उन्हें प्रशिक्षण पूरा होने पर भारतीय रेलवे में सेवा करनी पड़ेगी । उसकी अप्रेन्टिसशिप एक वर्ष बाद दूसरे वर्ष तभी रखी जाएगी जब जिस अधिकारी के अधीन वह कार्य कर रहा है उससे संतोषजनक रिपोर्ट मिल जाती है । अप्रेन्टिसशिप के दौरान यदि किसी समय वह अपने वरिष्ठ अधिकारी को इस बारे में संतुष्ट नहीं करता है कि वह अच्छी प्रगति कर रहा है तो उसे अप्रेन्टिसशिप से अलग कर दिया जाएगा ।

टिप्पणी:—भारत सरकार अपने विवेक से प्रशिक्षण की अवधि तथा कोर्स में कोई परिवर्तन या संशोधन कर सकती है।

2. अप्रेन्टिसशिप की चार वर्ष तक उपर्युक्त प्रायोगिक तथा सैद्धान्तिक प्रशिक्षण किसी रेलवे वर्क शाप में दिया जाएगा । स्पेशल क्लास अप्रेन्टिसों को इस अवधि के दौरान या तो काउंसिल आफ इंजीनियरिंग इन्स्टीट्यूशन एग्जामिनेशन (लंदन) का भाग-1 और भाग-2 इन्स्टीट्यूशन आफ इन्जीनियर्स (इण्डिया) एग्जामिनेशन को एसोसिएट मेम्बरशिप का सैक्शन 'ए' और 'बी' अवश्य पास करनी चाहिए । अप्रेन्टिसों का पहले और दूसरे वर्षों के दौरान 1300/- रु. प्र. मा. छात्रवृत्ति तथा तीसरे और चौथे वर्षों के दौरान 1400/- रु. प्र. मा. छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। अप्रेन्टिसशिप के दौरान उम्मीदवार को सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। इसमें कुल छः सिमेस्टर परीक्षाएं होंगी जिनमें प्रत्येक का उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। यदि वे किसी परीक्षा में असफल रहते हैं तो उनके निष्पादन को देखते हुए उन्हें पूरक परीक्षा में बैठने और उसमें उत्तीर्ण होने या अगले निचले बैच में चले जाने को या अप्रेन्टिसशिप से हट जाने को कहा जाएगा ।

टिप्पणी : लिखाए जैसा कि नीचे पैराग्राफ 4 में व्यवस्था है या वह अधीनता असंयम या अन्य कदाचार का दोषी पाया जाता है या कोई करार भंग कर दिया जाता है अप्रेन्टिसशिप से हटाने के लिए एक सप्ताह का नोटिस दिया जाएगा।

3. उपर्युक्त पैरा 2 में निर्दिष्ट प्रशिक्षण को चौथा वर्ष पूरा होने से पहले अप्रेन्टिसों की एक सूची दी गई परीक्षा या अप्रेन्टिसशिप की अवधि के दौरान प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर योग्यताक्रम में तैयार की जाएगी। सफल अप्रेन्टिस यांत्रिकी इन्जीनियरी को भारतीय रेल सेवा में तीन वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किए जाएंगे।

टिप्पणी : किसी भी प्रशिक्षु को अर्हक स्तर पर योग्यता से युक्त तभी माना जाएगा जब उसके प्रशिक्षण का यह सिमेस्टर परीक्षाओं की अवधि में संचालित सभी परीक्षाओं में उसको कुल मिलाकर कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त हों, जिसमें भारतीय रेलवे यांत्रिकी व विद्युत इंजीनियरी संस्थान, जमालपुर के प्रधानाचार्य तथा उप मुख्य यांत्रिकी इन्जीनियर के प्रतिवेदनों में प्राप्त अंक भी शामिल होंगे। यह भी जरूरी है कि छह सिमेस्टर परीक्षाओं की इस अवधि में प्रत्येक वर्ष कुल मिलाकर कम से कम 45 प्रतिशत और प्रत्येक विषय में कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त हों।

4. असफल प्रशिक्षुओं को एक महीना पहले यह सूचना देकर कि उसकी प्रशिक्षता असफल रही प्रशिक्षता से निवृत्त कर दिया जाएगा।

5. अप्रेन्टिसशिप के चार वर्ष सफलतापूर्वक पूरे करने के बाद परिशिष्ट 4 के नीचे पैरा 1 के परन्तुक की शर्तों के अनुसार अप्रेन्टिसशिप को यांत्रिक इन्जीनियरों की भारतीय रेल सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा। यांत्रिक इन्जीनियरों की भारतीय रेल सेवा के अधिकारियों के वेतन एवं सेवा की सामान्य शर्तों के विवरण परिशिष्ट-4 में दिए गए हैं।

परिशिष्ट-4

यांत्रिकी इन्जीनियरों का भारतीय रेल सेवा से संबंधित विवरण

1. परिवीक्षा की अवधि तीन वर्ष होगी। परिवीक्षकों के रूप में नियुक्ति और वेतन का आरम्भ (क) अप्रेन्टिसशिप की 4 वर्ष की अवधि के समाप्त होने की तारीख से या (ख) प्रशिक्षण को पूरा करने की वास्तविक तारीख से जो भी बाद की हो, माना जाएगा।

किन्तु शर्त यह है कि उन स्पेशल क्लास अप्रेन्टिसेज को जो अपने अप्रेन्टिसशिप के 4 वर्ष के भीतर ए.एम.आई.एम.ई. (लन्दन) के भाग 1 और 2 ई.ए.एम.आई. (इण्डिया) के भाग ए और बी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे तो उन्हें केवल उसी तारीख से परिवीक्षकों के पद पर नियुक्त किया जाएगा जिससे वे इन परीक्षाओं में से किसी एक में पूर्ण रूप से सफल होंगे।

नोट :—(1) परिवीक्षकों को सेवा में बनाए रखने और उनको वार्षिक वेतन वृद्धियां स्वीकृत करने के बारे में तब ही विचार किया जाएगा जब तक उनके कार्य के सम्बन्ध में वर्ष के अन्त में संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त न हो जाए;

(2) किसी भी ओर से तीन मास का नोटिस दिए जाने पर परिवीक्षकों की सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

2. परिवीक्षा के प्रथम और द्वितीय वर्षों में उनको एक या अनेक भारतीय रेलवे केन्द्रों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा जिसके लिए एक निर्धारित पाठ्यक्रम होगा और यह समय-समय पर संशोधित भी हो सकता है। परिवीक्षाधीन अधिकारियों को कार्य समय के बाद किसी प्राविधिक महाविद्यालय में या इन्जीनियरी विषयों पर विशिष्ट भाषण सुनने के लिए भेजा जा सकता है। प्रशिक्षण को इस दो वर्ष की अवधि में प्रशिक्षण की प्रत्येक दशा के बाद अभियंता और जिस रेलवे में परिवीक्षा की नियुक्ति होती है, यहां के मुख्य परिचालक अधीक्षक द्वारा सम्मिलित रूप से आयोजित होगी। जिसमें अर्हता प्राप्त करने के लिए 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।

3. परिवीक्षा की अवधि में उनको रेलवे कर्मचारी महाविद्यालय, बड़ौदा में एक निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा और महाविद्यालय के द्वारा आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण भी होना होगा महाविद्यालय की यह परीक्षा अनिवार्य होगी इसमें दुबारा बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जब तक कुछ अपवादिक परिस्थितियां न हों और अधिकारियों का कार्य लेख इस प्रकार की छूट को उपयुक्त प्रमाणित न करे। परीक्षा में उत्तीर्ण न होने पर सेवा समाप्त की जा सकती है और किसी भी हालत में जब तक ये परीक्षा में उत्तीर्ण न हों उनका स्थायीकरण नहीं हो सकेगा और प्रशिक्षण और/या परिवीक्षा अवधि यथावश्यक बढ़ा दी जाएगी। परिवीक्षा की अवधि के दो वर्ष पूरा होने के पहले उनको एक विभागीय परीक्षा में भी बैठना होगा जिसमें विषय होंगे—लेखा और प्राक्कलन सामान्य और आनुषंगिक नियम, कारखाना अधिनियम, कारीगर प्रतिपूर्ति अधिनियम, श्रमिकों से काम कराने का कौशल तथा परिवीक्षा की अवधि में प्रत्येक अधिकारी को सौंपे गए कार्य या कार्यों में उनकी सामान्य अनुप्रयुक्तता। उनको इस विभागीय परीक्षा में परिवीक्षा के दूसरे साल के अन्दर-अन्दर उत्तीर्ण होना होगा। इस परीक्षा में उत्तीर्ण न होने पर सेवा समाप्त की जा सकती है और किसी भी हालत में उनकी वेतन-वृद्धि रुकवादी जाती है। निश्चित अवधि के अन्दर किसी जाति या सभी विभागीय परीक्षा या परीक्षाओं में उत्तीर्ण न होने के कारण जब परिवीक्षा की अवधि बढ़ानी पड़ती है, उस दशा में विभागीय परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने और बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के बाद स्थायी बनाए जाने पर पहली और उसके बाद की वेतन-वृद्धि की प्राप्ति समय-समय पर परिवर्तित

नियमों और आदेशों के अनुसार नियंत्रित होगी । इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा में दूसरी बार बैठने की अनुमति नियमानुसार नहीं दी जाती है जब तक कि कुछ अपवादिक परिस्थितियां न हों और प्रशिक्षण की अवधि में उम्मीदवार का कार्यलेख कुछ ऐसा न हो कि इस प्रकार की छूट उपयुक्त मालूम पड़े ।

ध्यान दें : सरकार, अपने निर्णय से किसी भी कार्यधारी पद की प्रशिक्षण अवधि और परीक्षा अवधि में परिवर्तन कर सकती है । अगर किसी मामले में प्रशिक्षण की अवधि बढ़ा दी जाती है तो तदनुसार परिवीक्षा की समस्त अवधि बढ़ाई जाती है ।

4. परिवीक्षाधीन अधिकारियों को देवनागरी लिपि में हिन्दी की किसी अनुमोदित स्तर की परीक्षा में पहले से ही उत्तीर्ण हुआ होना चाहिए या परिवीक्षा अवधि में उत्तीर्ण होना चाहिए। यह परीक्षा शिक्षा निदेशक, दिल्ली के माध्यम द्वारा आयोजित हिन्दी प्रवीण या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और कोई समकक्ष परीक्षा हो सकती है ।

जब तक कोई परिवीक्षाधीन अधिकारी इस अपेक्षा की पूर्ति नहीं करता है, तब तक उसको न स्थायी किया जा सकता है और न उसकी वेतन सामयिक वेतनमान में रु. 2350,00 प्रतिमास तक बढ़ाया जा सकता है । अगर इस अपेक्षा की पूर्ति नहीं कर पाता है तो उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है । कोई छूट नहीं दी जा सकती ।

5. सन् 1965 के बाद परीक्षा के आधार पर यांत्रिक इंजीनियरी, की भारतीय रेलवे सेवा में नियुक्ति किसी भी व्यक्ति को, अपेक्षित होने पर, किसी रक्षा सेवा से या भारतीय रक्षा से सम्बन्धित किसी पद पर कम से कम चार वर्ष की अवधि तक काम करना होगा । अगर कोई प्रशिक्षण हो, तो इसमें, उस प्रशिक्षण की अवधि शामिल है ।

परन्तु उस व्यक्ति को :

(क) परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति होने की तारीख से दस वर्ष समाप्त होने पर उपर्युक्त पद पर काम करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

(ख) सामान्य रु 40 वर्ष की आयु पूरी हो जाने पर पूर्वोक्त सेवा नहीं करनी पड़ेगी ।

6. यांत्रिक इंजीनियरों की भारतीय रेल सेवा के अधिकारी :—

(क) पेंशन लाभ के पात्र होंगे और

(ख) राज्य रेलवे गैर अंशदायी भविष्य निधि में उक्त निधि के नियमों के अन्तर्गत अंशदान करेंगे :—

जैसा कि उन रेलवे कर्मचारियों के जो अपनी नियुक्ति के दिन कार्यभार ग्रहण करते हैं लागू है ।

7. परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में सेवा शुरू करने की तारीख से वेतन शुरू हो जाएगा उपर्युक्त पैरा 3 के अधीन वेतन-वृद्धि हेतु सेवा भी उसी दिन से गिनी जाएगी वेतन आदि का विवरण इस परिशिष्ट के पैरा 10 में निम्नलिखित है :—

8. इन विनियमों के अधीन भर्ती हुए अधिकारी इस समय लागू नियमों के जो भारतीय रेल अधिकारियों पर लागू है अनुसार छुट्टी के पात्र होंगे ।

9. सामान्यतः अधिकारी पूरी सेवा के लिए उसी रेल में लगे रहेंगे जहां उनकी पहली नियुक्ति होती है और किसी दूसरे रेल में उन्हें स्थानान्तरण का कोई अधिकार नहीं होगा किन्तु भारत सरकार को यह अधिकार है कि सेवा की परिक्षाओं को देखते हुए भारत में या बाहर किसी दूसरी रेल में परियोजना में स्थानान्तरण कर सकें । अपेक्षित होने पर अधिकारियों को भारतीय रेल के स्टोर डिपार्टमेन्ट में सेवा करनी होगी ।

10. यांत्रिक इन्जीनियरों की भारतीय रेल सेवा में नियुक्ति अधिकारियों की इस समय वेतन की निम्न प्रकार दरें ग्राह्य है :—

कनिष्ठ वेतनमान : रु 2200-75-2800 इ. रो. 100-4000/-

वरिष्ठ वेतनमान : रु. 3000-100-3500-125-4500/-

कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड रु. 3700-125-4700-150-5000/-

वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (1) : रु. 5100-150-5700/-

(2) : रु. 5900-200-6700/-

टिप्पणी 1 : परिवीक्षाधीन अधिकारियों को शुरू में कनिष्ठ वेतनमान का न्यूनतम दिया जाएगा और वेतन वृद्धि के लिए उनकी सेवा कार्यारम्भ की तारीख से गिनी जाएगी । किन्तु इससे पहले की उक्त समयमान में उनका वेतन 2275.00 रु. प्र. मा. से 2350.00 रु. प्र. मा. तक बढ़ाया जाएगा । उन्हें निर्धारित परीक्षा या परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होंगी ।

टिप्पणी 2 : यदि वे प्रशिक्षण के पहले दो वर्षों और परिवीक्षा की अवधि के दौरान विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में असमर्थ रहते हैं 2275.00 रु. से 2350.00 तक वृद्धि रोक दी जाएगी जब निर्धारित अवधि के दौरान सभी विभागीय परीक्षाओं में असफल रहने के कारण प्रशिक्षण अवधि बढ़ानी पड़ी हो तब प्रशिक्षण की बढ़ी हुई अवधि की समाप्ति के पश्चात् उनके विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर उनका वेतन जिस तारीख को अन्तिम परीक्षा समाप्त होती है उसके बाद की तारीख से उक्त समयमान में उस व्यवस्था पर नियत किया जाएगा जो वे अन्यथा प्राप्त कर लेते । किन्तु उन्हें वेतन का कोई बकाया नहीं दिया जाएगा । ऐसे मामलों में भविष्यगत वेतन-वृद्धि की तारीख प्रभावित नहीं होगी ।

11. वेतन-वृद्धि केवल अनुमोदित सेवा के लिए और विभागीय नियमों के अनुसार दी जाएगी ।

12. प्रशासनिक ग्रेडों में पदोन्नति संस्वीकृत स्थापना में रिक्तियां होने पर ही होती हैं और पूरी तरह चयन पर आधारित होती है । केवल वरिष्ठता पदोन्नति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है ।

LOK SABHA SECRETARIAT

(STANDING COMMITTEE ON DEFENCE BRANCH)

New Delhi-110 001, the 9th February 1996

No. 4/1/2/COD/95.—Shri Sharad Dighe, M.P. has been appointed as the Chairman of the Departmentally Related Standing Committee on Defence (1995-96) with effect from February 8, 1996 *vice* Shri Indrajit Gupta resigned from Chairmanship of the Committee.

K. L. NARANG,
Deputy Secy.

MINISTRY OF FINANCE

DEPARTMENT OF REVENUE

New Delhi, the 9th January 1996

Notn. No. 10/95 (F. No. A-33011/14/95-Ad. VI).—Government of India—UNDP Project No. IND/95/006-Redesigning Management Systems and Procedures for Enhanced Resource Mobilisation through the Direct Tax Systems.

2. An agreement has been concluded between the Government of India and the United Nations Development Programme (UNDP) for execution of project titled "Redesigning Management Systems and Procedures for Enhanced Resource Mobilisation through the Direct Tax Systems". As per this agreement, Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue, Ministry of Finance is the Executing Agent. According to the guidelines for financial operations of such projects, two separate bank accounts—one in Indian Rupees and the other in US dollars, are required to be opened by the Project Authorities. The UNDP contribution towards this project is US dollars 8,65,000. The financial input from the Government of India will be of the order of Rs. 9.69 crores, which will be sanctioned separately by the Department of Expenditure. In order to execute the above project, Special Secretary and Chairman (Direct Taxes) has been designated as the National Project Director, Mr. G. K. Mishra, Member (P&V) as Member of the Core Group and Dr. V. K. Gupta, Commissioner of Income-tax as the National Project Co-ordinator. The Bank accounts will be operated by 2 out of these 3 signatories.

3. It has been decided that the foreign currency account may be opened in the Bank of Baroda operatable at New York (U.S.A.). The current account will be opened in the Bank of Baroda, Connaught Place, New Delhi.

HARBANS SINGH,
Under Secy.

MINISTRY OF INDUSTRY

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY & PROMOTION

(SALT DESK)

New Delhi, the 8th February 1996

RESOLUTION

No. 07011/2/95-Salt.—The Government of India have decided to reconstitute the Central Advisory Board for salt with immediate effect. The composition of the reconstituted Central Advisory Board (herein after called "the Board") will be as follows :—

Chairman

1. Industry Minister.

Members

Representatives of Central Government Departments/ Organisations

2. Joint Secretary, Incharge of Salt, Department of Industrial Policy & Promotion.

3. Director, Central Salt & Marine Chemicals Research, Institutes, Bhavnagar.

4. Joint Secretary, Incharge of National I.D.D. Control Programme, Ministry of Health.

5. Executive Director (Traffic & Transport), Min. of Railways.

Representatives of State Government of Salt Producing States

6. Industries Commissioner, Govt. of Gujarat.

7. Secretary, Deptt. of Industries, Govt. of Andhra Pradesh.

8. Secretary, Deptt. of Industries, Govt. of Tamil Nadu.

9. Secretary, Deptt. of Industries, Govt. of Rajasthan.

10. Secretary, Deptt. of Industries, Govt. of Orisse.

11. The Secretary, Deptt. of Food & Civil Supplies, Govt. of West Bengal.

Representatives of the State Governments other than Salt Producing States

12. Secretary, Deptt. of Food & Civil Supplies, Govt. of Assam.

13. Director, Rajiv Gandhi Mission for Diarrhea Control & IDD elimination, Govt. of Madhya Pradesh, Bhopal.

Salt Manufacturers
Gujarat

14. President, Indian Salt Manufacturers Association, Bombay.

15. Shri Krishnamurarilal Agarwal, President, Dhrangadhra Inland Salt Manufacturers' Association,

16. President, Gandhidham Chamber of Commerce & Industry, Gandhidham.

Tamil Nadu

17. Shri M. S. Prakash, Tuticorin.

Andhra Pradesh

18. Shri R. G. Sonthalia, Kanuparthy, District Prakasam.

Orissa

19. Chief Executive, M/s. Jayshree Chemicals, Ganjam.

Rajasthan

20. Chairman-cum-Managing Director, Hindustan Salts Ltd., Jaipur.

Iodised Salt Manufacturers

21. Shri Ramesh Chandra Rathi.

Refined Salt & Iodised Salt Manufacturers

22. Shri P. B. Anandam, Well Brines Ltd., Gandhidham.

23. Shri Nitish Jain, DCW Ltd., Bombay

Persons having knowledge and experience of salt manufacturing co-operative societies

24. Special Officer,
Cooperative Department, Gujarat.

Representatives from the North Eastern Region

15. Shri Rajan Lohia,
M/s. Jhabarmal Binod Kumar,
Cole Road, Dibrugarh, Assam.

Persons representing Alkali manufacturers

26. Shri M. Javashankar, President,
Tuticorin Alkali Chemicals Ltd.,
Madras.

Persons having knowledge and experience in Public Affairs

27. Shri P. C. Chacko,
Member of Parliament,
16, Janpath, New Delhi.

28. Shri V. S. Vijayaraghavan,
B-101, M.S. Flats,
Baba Kharagsingh Marg,
New Delhi.

29. Prof. (Smt.) Savitri Lakshmanan, M.P.,
139, South Avenue, New Delhi.

30. Prof. K. V. Thomas, M.P.,
84, South Avenue,
New Delhi.

31. Shri A. A. Kochunny,
12/1340, Panayappally, Cochin.

Member-Secretary

32. Salt Commissioner,
Jaipur.

NOTE : Representatives of the Ministries of Shipping and Transport and Commerce and State Trading Corporation may be invited to attend the meeting of the Board whenever necessary.

All members of Parliament who are the members of the Regional Advisory Boards for Salt may attend the meetings of the Board.

2. The functions of the Central Advisory Board will be to advise the Govt. of India on the administration of proceeds of the Salt Cess levied under Section 3 of the Salt Cess Act, 1953 and to make recommendations generally for measures conducive to the development of the salt industry, e.g.

(i) Establishment and maintenance of research stations, model farms and salt factories;

(ii) fixing the grades of salt and improving its quality;

(iii) development of exports;

(iv) promoting and encouraging co-operative efforts among the manufacturers of salt;

(v) any other matter pertaining to the development of salt industry;

(vi) promoting the welfare of labour employed in the salt industry.

3. (a) The Board will have a term of 3 years w.e.f. the date of issue of this Resolution.

(b) If the seat of a non-official member falls vacant, the Central Government shall make fresh nomination to fill up the vacancy for the unexpired portion of the term of the Board.

4. (a) If a nominated member is not in position to attend the meeting, he will intimate the fact in writing to the Chairman of the Board.

(b) The quorum for a meeting of the Board shall be three.

(c) Every non-official member attending the meeting of the Board or of a sub-committee duly constituted by the Board shall be entitled to travelling allowance and daily allowance as admissible under the rules or as approved by Central Govt. from time to time.

(d) The Salt Commissioner, Jaipur will be the controlling officer for the purpose of counter-signing of the travelling and daily allowance bills of the non-official members.

(e) A non-official member may resign his office by a letter addressed to the Chairman of the Board.

(f) If a non-official member leaves India, he shall intimate to the Chairman of the Board, before leaving India, the date of his departure from and the date of his expected return to India, and, if he intends to be absent from India for a period longer than six months, he shall tender his resignation. If any such member leaves India without complying with the above, he shall be deemed to have resigned with effect from the date of his departure from India.

(g) A member shall be declared by the Chairman of the Board to have vacated his office :—

(i) if he becomes insolvent, or

(ii) if he is convicted of any offence, which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude, or

(iii) if he is absent from three consecutive meetings of the Board without leaves of absence from its Chairman, or

(iv) if, in the opinion of the Central Government it is undesirable that he should continue to be a member of the Board.

(h) The Secretary of the Board, with the approval of the Chairman of the Board, may invite one or more non-official members of the Regional Advisory Boards for Salt or other persons to attend any meeting of the Board, and such members or persons shall be entitled to travelling allowance etc. as indicated under clause (c).

(i) The Board shall meet at such place and time as may be appointed by the Chairman.

(j) A notice shall be given to every member present in India of the time and place fixed for each ordinary meeting at least 15 days before such meeting and each member shall be furnished with a list of business to be disposed of at that meeting.

(k) Provided that when an emergent meeting is called by the Chairman, such notice shall not be necessary.

(l) No business which is not on the list, shall be considered by a meeting without the prior permission of the Chairman of the Board.

(m) The Chairman shall preside over the meeting of the Board at which he is present. If the Chairman is absent from any meeting, the Members shall elect a member as Chairman and the member so elected shall, at that meeting exercise all the powers of the Chairman.

(n) Every question at a meeting of the Board shall be decided by a majority of votes of the members present and voting on that question. In the case of an equal division of votes, the Chairman shall give an additional vote.

(o) The proceedings of each meeting of the Board shall be circulated to all members present in India and thereafter recorded in a Minute Book, which shall be kept for permanent record.

The record of the proceedings of each meeting shall be signed by the Chairman of the Board.

(p) Proposals for expenditure in a Region to be met from the proceeds of the Cess shall be considered first by the Regional Board, for this purpose, preliminary estimates detailing the proposals and its estimated cost together with other necessary data shall be prepared by the Regional Officers. The proposals together with the Regional Board's recommendation shall then be considered by the Central Board.

Works of developmental nature and Labour Welfare, costing up to Rs. Five lakhs each, may be approved for execution by the Regional Boards themselves without referring them to the Central Advisory Board for their final recommendations.

(q) The recommendations of the Central Advisory Board shall be submitted to the Central Government for acceptance after which detailed estimates shall be prepared. The estimates shall be sanctioned by competent authority.

(r) No act or proceeding of the Board shall be called in question on the ground merely of the existence of any vacancy in, or defect in the constitution of the Board.

ORDER

ORDERED that this Resolution be communicated to all State Governments. All Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat and Prime Minister's Office.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India, Part-I, Section-I.

PRATIBHA KARAN,
Joint Secy.

DEPARTMENT OF EDUCATION

(SHIKSHA VIBHAG)

New Delhi, the 4th September 1995

No. F. 8-133/93-TD-I/TS-II.—It has been decided to transfer the Regional Offices of the Ministry of Human Resource Development, Department of Education located at Madras, Bombay, Calcutta and Kanpur with all the assets, to the All India Council for Technical Education, New Delhi, a Statutory Autonomous Organisation of Ministry of Human Resource Development (Department of Education) with effect from 1st October, 1995.

The transfer and other services conditions of the Staff Working in these Regional Offices would be governed by the instructions issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Government of India from time to time.

A Committee consisting of (i) Secretary, All India Council for Technical Education, (ii) Deputy Education Adviser (T), Ministry of Human Resource Development and (iii) a representative of Integrated Finance Division (Ministry of Human Resource Development) will prepare the list of assets in each Regional Office by 30-9-1995 and Government decision for transferring assets to AICTE will be issued separately.

PROF. D. P. AGRAWAL,
Joint Education Adviser (T)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

RULES

New Delhi, the 24th February, 1996

No. 95/E(GR)I/1/8.—The rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in 1996 for selection of candidates for appointment as 'Special Class Apprentices' in the Indian Railway Service of Mechanical Engineers, are published for general information.

2. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice by the Commission. Reservation will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Backward Classes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

3. The examination will be conducted by the Commission in the manner prescribed in Appendix I to these rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. A candidate must be either—

(a) a citizen of India, or

(b) subject of Nepal, or

(c) a subject of Bhutan, or

(d) a Tibetan refugee who came over to India, before the 1st January 1962, with the intention of permanently settling in India, or

(e) a person of India origin who has migrated from Paikstan, Burma, Sri Lanka, and East Africa countries of Kenya, Uganad and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) or from Zambia. Malawi, Zaire, Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India. Provided that a candiadte belonging to categories (b), (c), (d) and (e) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candiadte in whose case a certificate of eligibilty is necessary may be admitted to the examination but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

5. (a) A candidate must have attained the age of 17 years and must not have attained the age of 21 years on 1st August, 1996, i.e. he must have been born not earlier than 2nd August, 1975, and not later than 1st August, 1979.

(b) The upper age limit prescribed above will be relaxable—

(i) upto a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) upto a maximum of three years if a candidate is a *bona-fide* repatriate of India origin from Kuwait or Iraq and has migrated to India from any of these countries after 15th May, 1990 but before 22nd November, 1991.

(iii) Upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona-fide* repatriate of Indian origin from Kuwait or Iraq and has migrated to India from any of these countries after 15th May, 1990 but before 22nd November, 1991.

(iv) upto a maximum of five years if a candidate had ordinarily been domiciled in the Kashmir Division of the State of Jammu and Kashmir during the period from the 1st January, 1980 to the 31st day of December, 1989.

(v) upto a maximum of ten years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and had ordinarily been domiciled in the Kashmir Division of the State of Jammu and Kashmir during the period from the 1st January, 1980 to the 31st day of December, 1989.

(vi) upto a maximum of three years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof;

(vii) upto a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign countries or in a disturbed area and released as a consequence thereof who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(viii) upto a maximum of five years in the case of ex-servicemen and Commissioned Officers including ECOs/SSCOs who have rendered at least five years Military Service as on 1st August, 1996, and have been released (i) on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within one year from 1st August, 1996 otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, or on account of Physical disability attributable to Military Service, or (iii) on invalidment.

(ix) upto a maximum of ten years in the case of ex-servicemen and Commissioned Officers including ECOs/SSCOs who have rendered at least five years Military Service as on 1st August, 1996 and have been released (i) on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within one year from 1st August 1996) otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency or (ii) on account of physical disability attributable to Military Service or (iii) on invalidment; who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

(x) upto a maximum of five years in the case of ECOs/SSCOs who have completed an initial period of assignment of five years of Military Service as on 1st August, 1996 and whose assignment has been extended beyond five years and in whose case the Ministry of Defence issues a certificate that they can apply for civil employment and they will be released on three months' notice on selection from the date of receipt of offer of appointment.

(xi) upto a maximum of ten years in the case of ECOs/SSCOs who have completed and initial period of assignment of five years of Military Service as on 1st August, 1996, and whose assingment has been extended beyond five years and in whose case the Ministry of Defence issued a certificate that they can apply for civil employment and that they will be released on three months' notice on selection from the date of receipt of offer of appointment who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

(xii) upto a maximum of three years in the case of candidates belonging to Other Backward Classes who are eligible to avail of reservation applicable to such candidates.

Note I—The term Ex-servicemen will apply to the persons who are defined as Ex-servicemen in the Ex-servicemen (Re-employment in Civil Services and Posts) Rules, 1979 as amended from time to time.

Note II—Candidates falling under Rule 5 (b) (ii) to (xii) who do not belong to Scheduled Caste and Scheduled Tribe are not eligible for age concession if they have already joined any Govt. job on civil side after availing of the age concession.

The Ex-Servicemen who have already secured regular employment under the Central Government in a civil post are however, permitted the benefit of age relaxation as admissible to Ex-Servicemen for securing another employment in any higher post or service under the Central Government.

Note III—Candidates belonging to Other Backward Classes who are also covered under any other clauses of rule (5(b) above, viz. those coming under the category of Ex-Servicemen, persons domicilied in Kashmir Division of the State of J&K, repatriates from Kuwait and Iraq etc. will be eligible for grant of cumulative age-relaxation under both the categories.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

6. A candidate—

(a) must have passed in the first or second division, the Intermediate or an equivalent Examination of a University or Board approved by the Government of India with Mathematics and at least one of the subjects Physics and Chemistry as subjects of the examination.

Graduates with Mathematics and at least one of the subjects Physics and Chemistry as their degree subjects may also apply, or

(b) must have passed in the first or second division the Higher Secondary (12 years) Examination under 10 plus 2 pattern of School Education with Mathematics and at least one of the subjects Physics and Chemistry as subject of the examination, or

(c) must have passed the first year Examination under the three-year degree course of a University or the first examination of the three-year diploma course in Rural Service of the National Council for Rural Higher Education or the third year Examination for promotion to the 4th year of the four-year B.A./B.Sc. (Evening College) Course of the Madras University with Mathematics and at least one of the subjects Physics and Chemistry as subjects of the examination provided that before joining the degree/diploma course he passed the Higher Secondary examination or the Pre-University or equivalent examination in the first or second division.

Candiadtes who have passed the first/second year examination under the three-year degree course in the first or second division with Mathematics and either Physics or Chemistry as subjects of the Examination may also apply : provided the first/second year examination is conducted by a University; or

(d) must have passed in the first or second division the Pre-Engineering Examination of a University, approved by the Government of India; or

(e) must have passed in the first or second division the Pre-Professional/Pre-Technological Examination of any Indian University or a recognised Board, with Mathematics and at least one of the subjects Physics and Chemistry as subjects of the Examination conducted one year after the Higher Secondary or Pre-University stage; or

(f) must have passed the first year examination under the five year Engineering Degree Course of a University : Provided that before joining the Degree Course, he passed the Higher Secondary Examination or Pre-University or equivalent examination in the first or second division.

Candidate who have passed the first year Examination of the five-year Engineering Degree Course in the first or second division may also apply provided the first year Examination is conducted by a University ; or

((g) must have passed in the first or second division the Pre-Degree Examination of the Universities of Kerala and Calicut with Mathematics and at least one of the subjects Physics and Chemistry as subjects of the examination.

Note I.—Candidates who are not awraded any specific division by the University/Board either in the Intermediate or any other examination mentioned above will be considered educationally eligible provided their aggregate of marks falls within the range of marks for first or second division as prescribed by the University/Board concerned.

Note II.—Candidates who have appeared at an examination the passing of which would render them eligible to

appear at the examination but have not been informed of the result may apply for admission to the examination. Candidates who intend to appear at such a qualifying examination may also apply. Such candidates will be admitted to the examination, if otherwise eligible, but their admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation, if they do not produce proof of having passed the requisite qualifying examination alongwith the detailed applications which will be required to be submitted by the candidates who qualify on the results of the written part of the examination.

Note III.—In exceptional cases, the Commission may treat a candidate, who has not any of the qualifications prescribed in this rule as educationally qualified provided that he possesses qualifications the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his admission to the examination.

Note IV.—Diplomas in Engineering awarded by the State Boards of Technical Education are not acceptable for admission to the Special Class Railway Apprentices' Examination.

7. Candidates must pay the fee prescribed in the Commission's Notice.

8. All the candidates in Government service, whether in a permanent or in temporary capacity or as work-charged employees, other than casual or daily-rated employees or those serving under Public Enterprises will be required to submit an undertaking that they have informed in writing their Head of Office/Department that they have applied for the Examination.

Candidates should note that in case a communication is received from their employed by the Commission withholding permission to the candidates applying for/appearing at the examination, their application shall be rejected/candidature shall be cancelled.

9. The decision of the Commission with regard to the acceptance of the application of a candidate and his eligibility or otherwise for admission to the examination shall be final.

The candidates applying for examination should ensure that they fulfil all the eligibility conditions for admission to the Examination. Their admission at all the stages of examination for which they are admitted by the Commission viz. written Examination, and Interview Test will be purely provisional, subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions. If on verification at any time before or after the written Examination and Interview Test, it is found that they do not fulfil any of the eligibility conditions, their candidature for the examination will be cancelled by the Commission.

10. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

11. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of—

(i) obtaining support for his candidature by any means; or

(ii) impersonating; or

(iii) procuring impersonation by any person; or

(iv) submitting fabricated document or documents which have been tampered with; or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information; or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination; or

(vii) using unfair means during the examination, or

(viii) writing irrelevant matter including obscence language or pornographic matter, in the script(s); or

(ix) misbehaving in any other manner in the examination hall; or

(x) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examination; or

(xi) violating any of the instructions issued to candidate alongwith their Admission Certificate permitting them to take the examination; or

(xii) attempting to commit or as the case may be abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses.

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; and/or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission, from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government, from any employment under them; and

(c) If he is already in service under Government to disciplinary action under the appropriate rules.

Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after—

(i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf; and

(ii) taking the representation, if any, submitted by the candidate, within the period allowed to him into consideration.

12. Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion, shall be summoned by them for the Personality Test.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes or the other Backward Classes may be summoned for the Personality Test by the Commission by applying relaxed standards if the Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be summoned for the Personality Test on the basis of the general standard in order to fill up the vacancies reserved for them.

13. (i) After the interview, the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate in the written examination as well as interview and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified at the examination shall be recommended for appointment upto the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination.

(ii) The candidates belonging to any of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes or Other Backward Classes may, to the extent of the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes be recommended by the Commission by a relaxed standard subject to the fitness of these candidates for selection to the Service.

Provided that the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and the Other Backward Classes who have been recommended by the Commission without resorting to the relaxed standard referred to in this sub-rule, shall not be adjusted against the vacancies reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes.

14. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondance with them regarding the result.

15. Success in the examination confers no right to appointment, unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary that the candidate having regard to his character and antecedents, is suitable in all respects for appointment to the Railway Service.

16. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer of the service. A candidate who (after such physical examination as Government or the appointing authority, as the case may be, may prescribe) is found not to satisfy those requirements will not be appointed.

All candidates, who qualify for interview on the basis of written part of the examination, are required to undergo medical examination on the next working day following the date of interview (there shall be no medical examination on Saturday, Sunday and Closed Holidays). For this purpose, the successful candidates will be required to present themselves, before the Additional Chief Medical Officer, Central Hospital, Northern Railways, Basant Lane, New Delhi at 9.00 Hrs. In case the candidates are wearing glasses, they should take with them, the latest number of glasses to the Medical Board.

No request for change in the date of medical examination or in its venue would be acceded to.

The candidates should note that no request for grant of exemption from medical examination will be entertained under any circumstances.

The candidates may also please note:

(i) a sum of Rs. 16 (Rupees sixteen only) in cash, is required to be paid by them to the Medical Board;

(ii) no travelling allowance will be paid for the journey performed in connection with the medical examination; and

(iii) the fact that a candidate has been physically examined will not mean or imply that he will be considered for appointment.

THE CANDIDATES SHOULD NOTE THAT THEY WILL NOT RECEIVE ANY SEPARATE INTIMATION REGARDING MEDICAL EXAMINATION FROM THE MINISTRY OF RAILWAYS.

Note.—In order to prevent disappointment, candidates are advised to have themselves examined by a Government medical officer of the standing of a Civil Surgeon before applying for admission to the examination. Particulars of the nature of the medical test to which candidates will be subjected before appointment and of the standards required are given in Appendix II to these Rules. For the disabled ex-Defence Services Personnel, the standards will be relaxed consistent with the requirements of the service.

17. No person—

(a) who entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to service.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

18. Conditions of apprenticeship for the Special Class Apprentices selected through this examination are given in Appendix III. Brief particulars relating to the Indian Railway Service of Mechanical Engineers are also given in Appendix IV.

S. SURYANARAYANAN
Secy., Railway Board

APPENDIX I

(See Rule 3)

The examination shall be conducted according to the following plan.

Part I—Written examination carrying a maximum of 700 marks in the subject as shown below:

Part II—Personality Test carrying a maximum of 200 marks (Vide Rule 12).

2. The subjects of the written examination under Part I, the time allowed and the maximum marks allotted to each subject/paper shall be as follows:—

Sl. No.	Subject	Code No.	Time Allowed	Maximum Marks
1.	English	01	2 Hours	100
2.	General Knowledge	02	2 Hours	100
3.	Physics	03	2 Hours	100
4.	Chemistry	04	2 Hours	100
5.	Mathematics I (Algebra, Elementary Mensuration Trigonometry & Analytic Geometry)	05	2 Hours	100
6.	Mathematics II (Calculus-Differential and Integral and Mechanics—Statics and Dynamics)	06	2 Hours	100
7.	Psychological Test	07	1 Hour	100
	Total			700

3. THE PAPERS IN ALL THE SUBJECTS WILL CONSIST OF OBJECTIVE (MULTIPLE CHOICE ANSWERS) TYPE QUESTIONS ONLY. THE QUESTION PAPERS WILL BE SET IN ENGLISH ONLY.

4. IN THE QUESTION PAPERS, WHEREVER NECESSARY, QUESTIONS INVOLVING THE METRIC SYSTEM OF WEIGHTS AND MEASURES ONLY WILL BE SET.

5. Question papers will be approximately of the Intermediate standard.

6. Candidates must write the answers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

7. The Commission have the discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects at the examination.

8. The candidates are not permitted to use calculators for answering objective type papers (Test Booklets). They should not, therefore, bring the same inside the Examination Hall.

9. The syllabus for the examination will be as shown in the attached Schedule.

SCHEDULE

English (Code No. 01)

The questions will be designed to test the candidate's understanding and command of the language.

GENERAL KNOWLEDGE (Code No. 02)

The paper aims at testing a candidate's general awareness of the environment around him and its application to society. The standard of answers to questions should be as expected of students of standard 12 or equivalent.

Man and his environment

Evolution of life, plants and animals, heredity and environment—Genetics, cells, chromosomes, genes.

Knowledge of the human body—nutrition, balanced diet, substitute foods, public health and sanitation including control of epidemics and common diseases. Environmental pollution and its control. Food adulteration, proper storage and preservation of foodgrains and finished products, population explosion, population control. Production of food and raw materials. Breeding of animals and plant, artificial insemination, manures and fertilisers, crop protection measures, high yielding varieties and green revolution, main cereal and cash crops of India.

Solar system and the earth, Seasons, Climate, Weather Soil—its formation, erosion. Forests and their uses. Natural calamities cyclones, floods, earthquake, volcanic eruptions, Mountains and rivers and their role in irrigation in India. Distribution of natural resources and industries in India. Exploration of under-ground minerals including Oil. Conservation of natural resources with particular reference to the flora and fauna of India.

History, Politics and Society in India

Vedic, Mahavir, Buddha, Mauryan, Sunga, Andhra, Kushan, Gupta ages (Mauryan Pillars, Stupa Caves, Sanchi, Mathura and Gandharva Schools; Temple architecture, Ajanta and Elora). The rise of new social forces with the coming of Islam, and establishment of broader contacts. Transition from feudalism to capitalism. Opening of European contacts. Establishment of British rule in India. Rise of nationalism and national struggle for freedom culminating in Independence.

Constitution of India and its characteristic feature—Democracy, Secularism, Socialism, equality of opportunity and Parliamentary form of Government. Major political ideologies—democracy, socialism communism and Gandhian idea of non-violence. Indian political parties, pressure groups, public opinion and the press, electoral system.

India's foreign policy and non-alignment—arms race balance of power. World organisations—political, social, economic and cultural, Important events (including sports and cultural activities) in India and abroad during the past two years.

Broad features of Indian social system: the caste system heirarchy—recent changes and trends. Minority social institution—marriage, family religion and accultration.

Division of labour, co-operation, conflict and competition, Social control—reward and punishment, art, law, customs, propaganda, public opinion, agencies of social control—family, religion, state educational institutions; factors of social change—economic, technological, demographic, cultural; the concept of revolution.

Social disorganisation in India—Casteism, communalism, corruption in public life, youth unrest, beggary, drugs, delinquency and crime, poverty and unemployment.

Social planning and welfare in India community development and labour welfare: welfare of Scheduled Castes and backward classes.

Money taxation, price demographic trends, national income, economic growth. Private and Public Sectors; economic and non-economic factors in planning, balanced versus imbalanced growth, agricultural versus industrial development; inflation and price stabilisation problem of resource mobilisation; India's Five Year Plans.

PHYSICS (Code No. 03)

Length measurements using vernier, screw gauge, spherometer and optical lever.

Measurement of time and mass.

Straightline motion and relationships among displacement, velocity and acceleration.

Newton's laws of motion, Momentum, impulse, work, energy and power.

Coefficient of friction.

Equilibrium of bodies under action of forces. Moment of a force, couple. Newton's law of gravitation, Escape velocity. Acceleration due to gravity.

Mass and Weight, Centre of gravity, Uniform circular motion, Centripetal force, simple Harmonic motion. Simple pendulum.

Pressure in a fluid and its variation with depth, Pascal's law. Principle of Archimedes, Floating bodies, Atmospheric pressure and its measurement.

Temperature and its measurement. Thermal expansion, Gas laws and absolute temperature. Specific heat, latent heat and their measurement. Specific heats of gases, Mechanical equivalent of heat. Internal energy and First law of thermodynamics, Isothermal and adiabatic changes. Transmission of heat; thermal conductivity.

Wave motion, Longitudinal and transverse waves. Progressive and stationary waves. Velocity of sound in a gas and its dependence on various factors. Reasonance phenomena (air columns and strings).

Reflection and refraction of light. Image formation by curved mirrors and lenses, Microscopes and telescopes. Defects of vision.

Prisms, deviation and dispersion, Minimum deviation, Visible spectrum.

Field due to a bar magnet, Magnetic moment, Elements of Earth's magnetic field. Magnetometers, Dia, para and ferromagnetism.

Electric charge, electric field and potential. Coulomb's law.

Electric current; electric cells, e.m.f. resistance, Ammeters and voltmeters. Ohm's law; resistances in series and parallel, specific resistance and conductivity. Heating effect of current.

Wheatstone's bridge, Potentiometer.

Magnetic effect of current; straight wire, coil and solinoid electromagnetic; electric bell.

Force on a current-carrying conductor in magnetic field; moving coil galvanometer; conversion to ammeter or voltmeter.

Chemical effects of current; Primary and storage cells and their functioning. Laws of electrolysis.

Electromagnetic induction; Simple A.C. and D.C. generators. Transformers. Induction coil;

Cathode rays, discovery of the electron, Bohr model of the atom. Diode and its use as a rectifier.

Production, properties and uses of X-rays.

Radioactivity; Alpha, Beta and Gamma rays.

Nuclear energy; fission and fusion, conversion of mass into energy, chain reaction.

CHEMISTRY (Code No. 04)

Physical Chemistry

Atomic structure; Earlier models in brief. Atom as a three dimensional model. Orbital concept. Quantum numbers and their significance, only elementary treatment. Pauli's Exclusion Principle. Electronic configuration. Aurbau Principle, s.p.d. and f. block elements.

Periodic classification only long form. Periodicity and electronic configuration. Atomic radii, Electro-negativity be periods and groups.

2. Chemical Bonding, Electro-valent covalent, Coordinate covalent bonds. Bond Properties, sigma and Pie bonds, Shapes of simple molecules like water, hydrogen sulphide, methane, and ammonium chloride. Molecular association and hydrogen bonding.

3. Energy changes in a chemical reaction. Exothermic and Endothermic Reactions. Application of First Law of Thermodynamics, Hess's Law of constant heat summation.

4. Chemical Equilibria and rates of reactions. Laws of Mass action. Effect of Pressure, Temperature and concentration on the rates of reaction. (Qualitative treatment based on Le Chatelier's Principle). Molecularity, First and Second order reaction. Concept of Energy of activation. Application, to manufacture of Ammonia and Sulphur trioxide.

5. Solutions : True solutions, colloidal solutions and suspensions. Colligative properties of dilute solutions and determination of Molecular weights of dissolved substances-Elevation of boiling points. Depressions of freezing point, osmotic pressure. Raoult's law (Non-thermodynamic treatment only).

6. Electro-Chemistry : Solution of Electrolytes, Faraday's Laws of Electrolysis, ionic equilibria, Solubility product.

Strong and weak electrolytes. Acids and Bases (Lewis and Bronstead concept). P. H. and Buffer solutions.

7. Oxidation—Reduction Modern electronic concept and oxidation number.

8. Natural and Artificial Radioactivity; Nuclear Fission and Fusion. Uses of Radioactive isotopes.

Inorganic Chemistry

Brief treatment of Elements and their industrially important compounds :

1. Hydrogen : Position in the periodic table. Isotopes of hydrogen, Electronegative and electropositive character. Water, hard and soft water, use of water in industries, Heavy water and its uses.

2. Group I Elements. Manufacture of sodium hydroxide, sodium carbonate, sodium bicarbonate and sodium chloride.

3. Group II Elements. Quick and slaked lime. Gypsum, Plaster of Paris. Magnesium sulphate and Magnesia.

4. Group III Elements. Borax, Alumina and Alum.

5. Group IV Elements. (Coal, Coke and solid Fuels, Silicates, Zolitis semi-conductors). Glass (Elementary treatment).

6. Group V Elements. Manufacture of ammonia and nitric acid. Rock phosphates and safety matches.

7. Group VI Elements, Hydrogen peroxide, allotropy of sulphur, sulphuric acid. Oxides of sulphur.

8. Group VII Elements. Manufacture and uses of Fluorine, Chlorine, Bromine and Iodine, Hydrochloric acid, Bleaching powder.

9. Group O. (Noble gases) Helium and its uses.

10. Metallurgical Processes : General Methods of extraction of metals with specific reference to copper, iron, aluminium, silver, gold, zinc and lead. Common alloys of these metals : Nickel and manganese steels.

Organic Chemistry

1. Tetrahedral nature of carbon. Hybridisation and sigma pie bonds and their relative strength. Single and multiple bonds. Shapes of molecules. Geometrical and optical isomerism.

2. General methods of preparation, properties and reaction of alkanes, alkenes and alkynes, Petroleum and its refining—Its uses as fuel.

Aromatic hydrocarbons : Resonance and aromaticity. Benzene and Naphthalene and their analogues. Aromatic substitution reactions.

3. Halogen derivatives : Chloroform, Carbon Tetrachloride. Chlorobenzene. D.D.T. and Gammexane.

4. Hydroxy Compounds : Preparation, properties and uses of Primary, Secondary and Tertiary alcohols, Methanol, Ethanol, Glycerol and Phenol. Substitution reaction at aliphatic carbon atom.

5. Ethers; Diethyl ether :

6. Aldehydes and ketones : Formaldehyde, Acetaldehyde, Benzaldehyde, acetone, acetophenone.

7. Nitro Compounds amines: Nitrobenzene. TNT, Aniline. Diazonium Compounds, Azodyes.

8. Carboxylic acid : Formic, acetic, benezic and salicylic acid, acetyl salicylis acid.

9. Esters : Ethylacetate, Methyl salicylates, ethyl benzoate.

10. Polymers : Polythene, Teflon, Perpex, Artificial Rubber, Nylon and polyester fibres.

11. Nonstructural treatment of Carbohydrates, Fats and Lipids, amino acids and proteins—Vitamins and hormones.

MATHEMATICS I (Code No. 05)

Algebra

Number Systems– Natural numbers, integers, Rationals and Irrationals and their elementary properties.

Elementary Number Theory—Division algorithm. Prime and Composite numbers. Multiples and factors, Factorization Theorem, H.C.F. and L.C.M. Euclidean Algorithm. Logarithms and their use.

Basic Operations. Simple factors H.C.F., L.C.M. of polynomials, Solution of quadratic equations, relations between its roots and coefficients Division algorithm.

Laws of Indices, A.P. and G.P. Geomatric series and its application—to recurring decimal fractions.

Permutation and Combinations. Binomial Theorems for positive integral index. Applications of Binomal Theorem for rational indices to approximations.

Simultaneous linear equations (upto three unknowns) and their solutions. Fitting of a quadratic curve $y=a+bx+cx^2$ for given value of y at x^1, x^2 and x^3.

Simultaneous linear equations (upto three unknowns) and their graphs 2×2 Matrix and elementary operations. Identity matrix. Inverse of a matrix. Determinals of order not exceeding 3.

Elementary Mensuration

Area of plane figures. Volumes and surfaces of cubes, pyramids, right circular cylinders; cones and spheres.

Trigonometry

Angles and their measures in grades and radians. Trigonometrical ratios.

Addition formulae. Sine, cosine, and tangent of multiples and sub-multiples of angles. Periodicity and graphs of sine, cosine and tangent. Solution of simple Trigonometric equations.

Simple cases of heights and distances.

Analytic Geometry

Equation of a line in a plane. General equation of first degree. Angles between two lines. Parallel and perpendicular lines.

Cartesian equation of a pair of straight lines.

Equation of a circle. General equation. Equation of tangent and normal to a circle. Radical axis of two circles. Family of circles.

Standard equations of parabola, ellipse and hyperbola. Equations of tangent and normals at a point on the curve.

MATHEMATICS II (Code No. 06)

Calculus (Differential and Integral)

Real functions through examples, their graphs Composite and inverse functions. Algebra of real functions. Examples of rational and trigonometric functions and step function.

The notions of limit and continuity of function and of sum difference, product and quotient of functions.

Derivative of a function at a point. Derivative as instantaneous rate of change and as slope of a curve.

Derivative of sum difference product and quotient of functions. Derivatives of composite function and of inverse of 1—1 functions. Derivatives of polynomial functions, rational functions, irrational functions, trigonometric functions and inverse trigonometric functions.

Primitives of functions and indefinite integrals.

Calculation of primitives in simple cases—integration by (simple) substitution and by parts.

Mechanics (Vector methods would be permissible).

Statics : Representation of a force, parallelogram of forces, Compositions and resolutions of forces. Like and unlike parallel forces. Moments, couples. Conditions of equalibrium—Concurrent forces and coplanar forces (not exceeding 4).

Triangle of forces

Centre of gravity of simple bodies.

Work and power. Simple machines (lever, system of pulleys, gear).

Dynamics : Displacement, speed, velocity and acceleration of a particle. Motion in a straight line under constant acceleration. Simple problems on projectiles. Motion of two masses connected by a string. Conservation of energy.

PSYCHOLOGICAL TEST (Code No. 07)

The questions will be designed to assess the basic intelligence and mechanical aptitude of the candidates.

PERSONALITY TEST

Each candidate will be interviewed by a Board who will have before them a record of his career both academic and extramural. They will be asked questions on matters of general interest. Special attention will be paid to assessing their potential qualities of leadership, initiative and intellectural curiosity, fact and other social qualities, mental and physical energy, power of practical application and integrity of character.

APPENDIX II

REGULATION FOR THE PHYSICAL EXAMINATION OF CANDIDATES FOR APPOINTMENT TO THE INDIAN RAILWAY SERVICE OF MECHANICAL ENGINEERS

These regulations are published for the convenience of candidates and in order to enable them to ascertain the probability of their coming up to required physical standard. The regulations are also intended to provide guidelines to the medical examiners and a candidate who does not satisfy the minimum requirements prescribed in the regulations cannot be declared fit by the medical examiners. However, while holding that a candidate is not fit according to the norms laid down in these regulations it would be permissible for a Medical Board to recommend to the Government of India for reasons specifically recorded in writing that he may be admitted to service without disadvantage to Government.

It should, however, be clearly understood that the Government of India reserve to themselves absolute discretion to reject or accept any candidate after considering the report of the Medical Board.

1. To be passed as fit for appointment a candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties of his appointment.

2. (a) In the matter of the correlation of age, height and chest girth of candidates of Indian (including Anglo-Indian) race, it is left to the Medical Board to use whatever correlation figures are considered most suitable as a guide in the examination of the candidates. If there be any disproportions with regard to height, weight and chest girth the candidate should be hospitalised for investigation and X-Rav of the chest taken before the candidate is declared fit or not fit by the Board.

(b) However, the minimum standards for height and chest girth without which candidates cannot be accepted, are as follows :

	Height	Chest girth fully expanded	Expansion
Male Candidates . .	152 Cm.	84 Cm.	5 Cm.
Female Candidates	150 Cm.	79 Cm.	5 Cm.

The minimum height prescribed is relaxable in case of candidates belonging to Scheduled Tribes and to races such as Gorkhas, Garhwalis, Assamese, Nagaland Tribals, etc. whose average height is distinctly lower.

3. The candidate's height will be measured as follows :—

He will remove his shoes and be placed against the standard with his feet together and the weight thrown, on the heels and not on the toes or other sides of the feet. He will stand erect without rigidity and with the heels, calves, buttocks and shoulders touching the standard; the chin will be depressed to bring the vertex of the head level under the horizontal bar and the height will be recorded in centimetres and parts of centimetres of halves.

4. The candidate's chest will be measured as follows :—

He will be made stand erect, with his feet together and to raise his arms over his head. The tape will be so adiusted round the chest that its upper edge touches the interior angles of the shoulders blades behind and lies in same horizontal plane when the

tape is taken round the chest. The arms will then be lowered to hang loosely by the side and care will be taken that the shoulders are not thrown upwards or backwards so as to displace the tape. The candidate will then be directed to take a deep inspiration several times and the maximum expansion of the chest will be carefully noted, and the minimum and maximum will then be recorded in centimeters, thus 84—89, 86—93, etc. In recording the measurements fractions of less than ½ centimetre should not be noted.

N.B.—The height and chest of the candidate should be measured twice before coming to a final decision.

5. The candidate will also be weighed and his weight recorded in kilograms, fraction of half a kilogram should not be noted.

6. The candidate's eye sight will be tested in accordance with the following rules. The result of each test will be recorded.

(i) *General.*—The candidate's eyes will be submitted to a general examination directed to the detection of any disease or abnormality. The candidate will be rejected if he suffers from any squint of morbid conditions of eyes, eye lids or contiguous structures of such a sort as to render or are likely at a future date to render him unfit for service.

(ii) Visual Acuity.—The examination for determining the acuteness of vision includes two tests, one for distant, the other for near vision. Each eye will be examined separately.

There shall be no limit for minimum naked eye vision but the naked eye vision of the candidates shall however, be recorded by the Medical Board or other medical authority in every case, as it will furnish the basic information in regard to the condition of the eye.

The candidate will be examined with the apparatus and in accordance with the method prescribed by the Railway Board's Standing Advisory Committee of Medical Officers, to determine his acuity of vision.

N.B.—No candidate will be accepted for appointment whose standard of vision does not come up to requirement specified below :—

The standard of visual acuity with or without glasses should be as follows :—

	Distant Vision		Near Vision	
	Better Eye	Worse Eye	Better Eye	Worse Eye
For candtdates below 35 years of age	6/6 or 6/9	6/12 or 6/9	J-I	J-II

NOTE : (1)

(a) Total Myopia (including the cylinder) shall not exceed —4.00D.

(b) Total Hypermetropia (including the cylinder) shall not exceed +4.00D.

(c) In every case of myopia, fundus examination should be carried out and the results recorded. In the event of any pathological conditions being present which is likely to be progressive and effect the efficiency of the candidate, he shall be declared unfit.

NOTE : (2)

Colour Vision :

The testing of colour vision is compulsory and the result should be normal in respect of all candidates. Satisfactory colour vision constitutes recognition of signal red, green and white colours with ease and without hesitation. Both the Ishihara's plates and Edridge's Green lantern shall be used for testing colour vision.

Colour perception should be graded into higher and lower grades depending upon the size of the aperture in the lantern as described below :—

Grade	Higher Grade of Colour perception	Lower Grade of Colour perception
1. Distance between the lamp and the candidate	16 Feet	16 Feet
2. Size of the aperture	13 mm	13 mm
3. Time of exposure	5 seconds	5 seconds

Higher grade of colour perception is essential for Special Class Apprentices.

NOTE : (3)

The field of vision shall be tested in respect of all Services by the confrontation method. Where such test gives unsatisfactory or doubtful results the field of vision should be determined on the perimeter.

NOTE : (4)

Night Blindness

Night blindness need not be tested as a routine, but only in special cases. No standard test for the testing of night blindness or dark adaption is prescribed. The Medical Board should be given the discretion to improvise such rough test e.g. recording of visual acuity with reduced illumination or by making the candidate recognise various objects in a darkened rooms after he has been there for 20 to 30 minutes. Candidate's own statements should not always be relied upon, but they should be given due consideration.

NOTE : (5)

Ocular conditions other than visual acuity :

(a) Any organic disease or a progressive refractive error which is likely to result in lowering the visual acuity should be considered as a disqualification.

(b) *Squint.*—The presence of binocular vision is essential. Squint even if the visual acuity is of the prescribed standard, should be considered as a disqualification.

(c) *One eyed persons.*—One eyed person will not be eligible for appointment.

NOTE : (6)

Contact Lenses :

During the medical examination of the candidate, the use of contact lenses is not to be allowed. It is necessary that when conducting eye test, the illumination of the type letters for distant vision should have an illumination of 15 foot candles.

NOTE : (7)

It shall be open to Government to relax any one of the conditions in favour of any candidate for special reasons.

7. *Blood Pressure*

The board will use its discretion regarding Blood Pressure.

The rough method of calculating normal maximum systolic pressure is as follows :—

(i) With young subjects 15—25 years of age the average is about 100 plus the age.

(ii) With subjects over 25 years of age the general rule of 110 plus half the age seems quite satisfactory.

N.B.—As a general rule any systolic system over 140 mm and diastolic over 90 mm should be regarded as suspicious and the candidate should be hospitalised by the Board before giving their final opinion regarding the candidate's fitness or otherwise. The hospitalization report should indicate whether the rise in blood pressure is of a transient nature due to excitement, etc. or whether it is due to any organic disease. In all such cases X-ray and electracardiographic examination of heart and blood urea a clearance test should be done as a routine. The final decision as to fitness or otherwise of a candidate will however, rest with the Medical Board only.

Method of taking Blood Pressure

The mercury manometer type of instrument should be used as a rule. The measurement should not be taken within fifteen minutes of any exercise or excitement. Provided the patient and particularly his arm is relaxed he may be either lying or sitting. The arm is supported comfortably at the patient side in a more or less horizontal position. The arm should be freed from cloths to the shoulder. The cuff completely deflated. should be applied with the middle of the rubber over the inner side of the arm and its lower edge an inch or two above the bend of the elbow. The following terms of cloth bandage should spread evently over the bag to avoid bulging during inflation.

The brachial artery is located by palpitation at the bend of the elbow and the stethoscope is then applied lightly and centrally over it below, but not in contact with the cuff. The cuff is inflated to about 200 mm. Hg. and then slowly deflated. The level at which the column stands when soft successive sounds are heared represents the Systolic Pressure. When more air is allowed to escape the sounds will be heard to increase in intensity. The level at which well-heard clear sound change to soft muffled fading sounds represents the diastolic pressure. The measurement should be taken in a fairly brief period of time as prolonged pressure of the cuff is irritating to the patient and vitiate the readings. Rechecking, if necessary, should be done only a few minutes after complete deflation of the cuff. (Sometimes, as the cuff is deflated sounds are heard at a certain level they may disappear as pressure falls and reappear at a still lower level. This Silent Gap may cause error in reading.

8. The urine (passed in the presence of the examiner) should be examined and the result recorded. Where a Medical Board finds Sugar present in a candidate's urine by the usual chemical tests, the Board will proceed with the examination with all its other aspects and will also specially note any signs or symptoms suggestive of the diabetes if except for the glycosuria the Board finds the candidate conforms to be standard of medical fitness requires they may pass the candidate "fit subject to the glycosuria being non-diabetic" and the Board will refer the case to a specified specialist in Medicine who has hospital and laboratory facilities at his disposal. The Medical Specialists will carry out whatever examinations, clinical and laboratory, he considers necessary including a standard blood sugar tolerance test, and will submit his opinion to the Medical Board upon which the Medical Board will base its final opinion "fit" or "unfit". The candidate will not be required to appear in person before the Board on the second occasion. To exclude the effects of medication it may be necessary to retain a candidate for several days in hospital, under the strict supervision.

9. A women candidate who as a result of tests is found to be pregnant of 12 weeks standing or over should be declared temporarily unfit till the confinement is over. She should be re-examined for a fitness certificate six weeks after the date of confinement subject to the production of a medical certificate of fitness from a registered medical practitioner.

10. The following additional points should be observed :—

(a) that the candidate's hearing in each ear is good and that there is no sign of disease of the ear. In case hearing is defective the candidate should be got examined by an Ear Specialist, provided that, if the defect is of a temporary nature, remediable by operation *but without the use of Hearing Aid* and provided further that the candidate has no progressive disease in the ear, he can be declared fit. The following are the guidelines for the medical examination authorities in this regard :—

(i) Marked or total deafness in one ear, other ear being normal.	Unfit for appointment as Special Class Apprentices.
(ii) Perceptive deafness both ears in which some improvement is possible by a hearing aid.	Unfit for appointment as Special Class Apprentices.
(iii) Perforation of tympanic membrances of central or marginal type.	Any unhealed perforation of eardrum would disqualify but evidence of healed lesion would not be a cause for disqualifications.
(iv) Bars with mastoid cavity Sub-normal hearing on one side/both sides.	Unfit for appointment as Special Class Apprentices.
(v) Persistently discharging ear operated/inoperated.	Temporarily unfit for both technical and non-technical Jobs.
(vi) Chronic inflammatory/ allergic condition of nose with or without bony deformities of nasal septum.	(i) A decision will be taken as per circumstances of individual cases.
	(ii) If debrated nasal septum is present with symptoms temporarily unfit.
(vii) Chronic inflammatory conditions of tonsils and/ or Larynx.	(i) Chronic Inflammatory conditions of tonsils, and/or larynx-Fit.
	(ii) Hoarseness or voice of severe degree if present then—Temporarily unfit
(viii) Benign or locally malignant tumours of the E.N.T.	(i) Benign tumours—Temporarily unfit.
	(ii) Malignant tumour-Unfit for appointment as Special Class Apprentices.

(ix) Otoscleroiss	If the hearing is within 3 decibles after operation with the help of hearing aid—Fit.
(x) Congential defects of ear, nose or throat.	(i) If not interfering with functions—Fit.
	(ii) Stuttering of Servere degree—Unfit.
(xi) Nasal Poly.	Temporarily Unfit.

(b) that his/her speech is without impediment;

(c) that his/her teeth are in good order and that he/she is provided with dentures where necessary for effective mastication (well-filled teeth will be considered as sound);

(d) that the chest is well formed and his/her chest expansion sufficient and that his/her heart and lungs are sound;

(e) that there is no evidence of any abdominal disease;

(f) that he/she is not ruptured;

(g) that he/she does not suffer from hydrocele, varicose veins or piles.

(h) that his/her limbs, hands and feet are well-formed and developed and that there is free and perfect motion of all his/her joints;

(i) that he/she does not suffer from Inveterate skin disease;

(j) that there is no congential malformation or defect.

(k) that he/she does not bear traces of acute or chronic disease pointing to an impaired constitution;

(l) that he/she bears marks of efficient vaccination; and

(m) that he/she is free from communicable disease.

11. Radiographic examination of the chest should be done as a routine in all cases for detecting any abnormality of the ficate and the medical examiner should state his opinion physical examination.

When any defect is found it must be noted in the Certificate and the medical examiner should state his opinion whether or not it is likely to interfere with the efficient performance of the duties which will be required of the candidate.

Note (a) Candidates are warned that there is no right of appeal from a Medical Board, special or standing appointed to determine their fitness for the above Service. If, however, Government are satisfied on the evidence produced before them of the possibility of an error of judgement in the decision of the first Board, it is open to Government to allow an appeal to a second board. Such evidence should be submitted within one month of the date of the communication in which the decision of the first Medical Board is Communicated to the candidate, otherwise no request for an appeal to a second Medical Board will be considered.

If any medical certificate is produced by a candidate as a piece of evidence about the possibility of an error of judgement in the decision of the first Board the certificate will not be taken into consideration unless it contains a note by the medical practitioner concerned to the effect that it has been given in full knowledge of the fact that the candidate has already been rejected as unfit for service by the Medical Board.

Note (b)—No appeal would be preferred after Appellate Medical Board and the decision of the Appellate Medical Board would be final.

Medical Board and their report

The following intimation is made for the guidance of the Medical Examiner:

1. The standard of physical fitness to be adopted should make due allowance for the age and length of service, of any of the candidate concerned.

2. No person will be deemed qualified for admission to the public service who shall not satisfy Government or the appointing authority as the case may be, that he has no disease, constitutional affection, or bodily infirmity unfitting him, or likely to unfit him for that service.

3. It should be understood that the question of fitness involves the future as well as the present and that one of the main objects of medical examination is to secure continuous effective service, and in the case of candidates for permanent appointment to prevent early pension or payments in case of premature death. It is at the same time to be noted that the question is one of the likelihood of continuous effective service, and that rejection of a candidate need not be advised on account of the presence of a defect which is only a small proportion of cases is found to interfere with continuous effective service.

4. A lady doctor will be co-opted as a member of the Medical Board whenever a woman candidate is to be examined.

5. The report of the Medical Board should be treated as confidential.

6. In case where a candidate is declared unfit for appointment in the Government service, the grounds for rejection may be communicated by the appointing authority to the candidate in broad terms without giving minute details regarding the defects pointed out by the Medical Board.

7. In cases where a Medical Board considers that minor disability disqualifying a candidate for Government service can be cured by treatment (medical or surgical) a statement to that effect should be recorded by the Medical Board. There is no objection to a candidate being informed of the Board's opinion to this effect by the appointing authority and when a cure has been effected it will be open to the authority concerned to ask for another Medical Board.

(A) Candidate's statement and declaration

The candiate must make the statement required below prior to the Medical Examination and must sign the Declaration appended thereto. His attention should be specially directed to the warning contained in the Note below:—

1. State your name in full (in block letters).

.....

.....

.....

.....

.....

2. State your age and birth blace

.....

.....

.....

.....

3. Do you belong to races such as Gorkhas, Garhwalis, Assamese, Nagaland Tribes etc. whose average age height is distinctly lower? Answer 'Yes' or 'No' and if the answer is 'Yes' state the name of the race. .....

4. (a) have you ever had small pox, Intermittent or any other fever, enlargement or suppuration of glands, Spitting of blood, asthma, heart disease, lung disease, fainting attacks, rheumatism, appendicitis.

OR

(b) Any other disease or accident requiring confinement to bed and medical or surgical treatment. ....

....

....

....

5. Have you or any of your near relations been afflicted with consumption, serofula gout, asthma, fits, epilepsy or insanity? ....

6. Have you suffered from any form of nervousness due to overwork or any other cause? ....

7. Furnish the following particulars concerning your family :—

Father's age if living and state of health	Father's age at death and cause of death	No. of brothers living, their ages and state of health	No. of brothers dead, their ages at and cause of death

Mother's age if living and state of health	Mother's age at death and cause of death	No. of sisters living, their ages and state of health	No. of sisters dead, their ages at and cause of death

8. Have you been examined by a Medical Board before?

....

9. If answer to the above is yes, please state what service/services you were examined for?

....

10. who was the examining authority?

....

11. When and where was the Medical Board held?

....

12. Result of the Medical Board's examination if communicated to you or if known.

....

I declare all the above answers to be to the best of my belief, true and correct.

Candidate's signature ....

Signed in my presence...............

Signature of Chairman of the Board

Signed in my Presence ....

NOTE : The candidate will be held responsible for the accuracy of the above statement. By willfully suppressing any information he will incur the risk of losing the appointment and, if appointed, of forfeiting all claims to Superannuation Allowance or Gratuity.

(B) *Report of the Medical Board on (name of candidate) Physical Examination.*

1. General Development :

Fair ....

Good ....

Poor ....

Nutrition Thin .... average ....

.... obese ....

Height (without shoes) ....

Weight .... best weight ....

When? ....

in weight? ....

Temperature ....

....

....

....

Girth of Chest :—

(1) After full inspiration

(2) After full expiration

2. Skin. Any obvious disease

3. Eyes :

(1) Any disease ....

(2) Night blindness ....

(3) Defect in colour vision ....

(4) Field of vision ....

(5) Visual Acuity ....

(6) Fundus Examination ....

Acuity of vision		Naked eye	with glasses	Strength of glasses Sph. Cyle. Axis
Distant vision	R.E.			
	L.E.			
Near vision	R.E.			
	L.E.			
Hypermetropia (Manifest)	R.E.			
	L.E.			

4. Ears : Inspection .... Hearing ....

Right Ear .... Left Ear ....

5. Glands ....Thyroid ....

6. Condition of teeth ....

7. Respiratory System : Does physical examination reveal any thing abnormal in the respiratory organs.

....

....

If yes, explain fully ....

8. Circulatory Systems :

(a) Heart : any organic lesion

Rate : Standing ....

After hopping 25 times .....

2 minutes after hopping .....

Bloor pressure :

Diastolic ..... Systolic.....

9. Abdomen Girth ....Tenderness .....

.... Hernia .....

(a) Palpable : Lever .....

Spleen .... Kidneys ... .

Tumours ....

(b) Haemorrhoids ..... Fistula .....

10. Nervous system : Indication of nervous or mental disabilities.

11. Loco Motor System : Any abnormality .....

12. Genite Urinary System : Any evidence of Hydrocele. Varicocele, etc.

Urine Analysis :

(a) Physical appearance ....

(b) Sp. Gr. ....

(c) Albumen ....

(d) Sugar ....

(e) Casts ....

(f) Cells ....

13. Reports of X-ray examination of Chest.

14. Is there any thing in the health of the candidate likely to render him unfit for the efficient discharge of his duties in the service for which he is a candidate ?

NOTE : In case of a female candidate, if it is found that she is pregnant of 12 weeks standing or over she should be declared temporarily unfit vide regulation 9.

15. For which services has the candidate been examined and found in all respects qualified for the efficient and continuous discharge of his duties and for which of them is he considered unfit.

Date .....

Place .....

President ....

Member ....

Appendix III

Conditions of Apprenticeship for Special Class Apprentices Selected through the Examination

The terms and conditions of Apprenticeship will be as set out in the form of agreement prescribed in the Indian Railway Establishment Manual, brief particulars of which are given below :

1. A candidate offered appointment as a Special Class Railway Establishment Manual, brief particulars of which in prescribed form binding himself and one surety jointly and severally, to refund, in the event of his failing to complete training as a Special Class Railway Apprentice or to accept the service as an officer on probation in the Indian Railway Service of Mechanical Engineers, If offered to him to the satisfaction of the Government, any moneys paid to him and any other moneys expanded by Government on him, the Government being the exclusive judge of the quantum of such expense.

The apprentices will be liable to undergo practical and the oretical training for 4 years in the first instance under an indenture binding them, to serve on the Indian Railways on the completion of their training, if their services are required. The continuance of apprenticeship from year to year will depend on satisfactory reports being received from the authorities under whom the apprentices may be working. If at any time during his apprenticeship, any apprentice does not satisfy the superior authorities that he is making good progress, he will be liable to be discharged from the apprenticeship.

NOTE :—The Government of India may at their discretion alter or modify the periods and courses of training.

2. The practical and theoretical training referred to above will be given in a railway workshop for four years of their apprenticeship. Special Class Apprentices must pass within this period either Parts 1 and 2 of the council of Engineering Institutions Examination (London) or Section 'A' and 'B' of the Associate Membership of Institution of Engineers (India) Examinations. The apprentices will be granted a stipend of Rs. 1300 per month during the 1st and 2nd years and Rs. 1400 per month during the 3rd and 4th years. During the apprenticeship, the candidates will be required to undergo both theoretical and practical training. There will be in all six Semester Examinations passing each of which is compulsory. If unsuccessful at any of these examinations they will depending on their performance, be asked to sit for and pass in supplementary examination or reverted to the next lower batch or removed from apprenticeship.

Note :—Except as provided for in paragraph 4 below or in cases of discharge or dismissal due to insubordination, intemperance or other misconduct or breach of agreement a week's notice of discharge from apprenticeship will be given.

3. Before the completion of 4th year of training referred to in paragraph 2 above, the apprentices will be listed in order of merit on the results of the examination held and the reports on the apprentices received during the period of apprenticeship Successful apprentices will be appointed on probation for 3 years in the Indian Railway Service of Mechanical Engineers.

NOTE :—An apprentice will be considered to have obtained the qualifying standard if he obtains a minimum of 50 per cent marks in the aggregate in all the examinations held during the six Semester Examination of his training including the marks of the reports of the Principal, Indian Railways Institute of Mechanical and Electrical Engineers, Jamalpur and of the Deputy Chief Mechanical Engineer, provided that in each of the six Semester Examination he has obtained a minimum of 45 per cent marks in the aggregate and a minimum of 40 per cent marks in any one subject.

4. Unsuccessful apprentices will be discharged from their apprenticeship, one month's notice of discharge being given along with the intimation that the apprentice has been unsuccessful.

5. After successful completion of 4 years apprenticeship, the apprentices will be appointed as probationers in the Indian Railways Service of Mechanical Engineers subject to the proviso below para 1 in Appendix IV. Particulars as to pay and general conditions of service for officers of Indian Railway Service of Mechanical Engineers have been given in Appendix IV.

APPENDIX IV

Particulars Regarding the Indian Railway Service of Mechanical Engineers

1. The period of probation will be three years. The appointment and pay as probationers will commence from (a) the date of completion of 4 years of the apprenticeship or (b) the actual date of completion of training which ever is later ;

Provided however that those Special Class Apprentices who could not pass parts I & II of AMIME (London) / Parts A & B of AMIE (India) Examination within 4 years of their apprenticeship will be deemed to have been appointed as probationers only from the date when they pass in full either of these examinations.

NOTE :—(i) The retention in service of probationers and the grant of annual increments are subject to satisfactory reports on their work being received at the end of each year of probation.

(ii) The services of a probationer may be terminated on three months notice on either side.

2. During the 1st and 2nd year of probation they will be sent to one or more of the Indian Railways for undergoing training in accordance with the Syllabus prescribed for the purpose as modified from time to time. The probationers may also be required to attend after working hours, a technical college or special lectures on Engineering subjects. They will be given an oral test at the end of each phase of training during these two years of training and at the end of the 2nd year, they will be given a written test to be conducted jointly by the Chief Mechanical Engineer and the Chief Operating Superintendent of the Railway to which they are posted, on the training received by the probationers during this period. The qualifying marks at this test will be 50 per cent.

3. During the probationary period they will have to attend a prescribed course of training in the Railway Staff College, Baroda and to qualify in the test held in the College. The test in the College is compulsory and a second chance, in the event of failure, will not be given except in exceptional circumstances and provided the record of the officers is such as to justify such relaxation being made. Failure to pass the test may involve the termination of service, and in any case the officers will not be confirmed till they pass the test their period of training and/or probation being extended as necessary. Before the end of the second year of probation, they will be required to undergo a departmental examination which will include Accounting and Estimating, General and Subsidiary Rules, Factory Act, Workmen's Compensation Act, ability to handle labour and general application to work or works on which each Officer is engaged while on probation. They will be required to pass the departmental examination within the second year of the probationary period. Failure to pass the examination, may result in termination of service and will, in any case, involve stoppage of increments. In case where the probationary period has to be extended for failing to pass any or all the departmental examination within the stipulated period on their passing the departmental examination and being confirmed after the expiry of extended period of probation the drawal of the first and subsequent increments will be regulated by the Rules and Orders in force from time to time. It must be noted that a second chance to pass any examination will as a rule not be given except under exceptional circumstances and only provided the other record of the candidate during the period of his training is such as to justify such relaxation being made.

NOTE.- The period of training and the period of probation against a working post may be modified at the discretion of Government. If the period of training is extended in any case due to the training not having been completed satisfactorily, the total period of probation will be correspondingly extended.

4. Probationers should have already passed or should pass during the period of probation an examination in Hindi in the Devanagari script of an approved standard. The examination may be the "PRAVEEN" Hindi Examination which is conducted by the Directorate of Education, Delhi, or one of the equivalent Examination recognised by the Central Government.

No probationary officer can be confirmed or his pay in the time scale raised to Rs. 2350.00 per month unless he fulfils this requirement; and failure to do so will involve liability to termination of service. No exemption can be granted.

5. Any person appointed to the Indian Railway Service of Mechanical Engineers shall, if so required, be liable to serve in any defence Service or post connected with the Defence of India for a period of not less than four years including the period spent on training, if any;

Provided that such a person

(a) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment as probationers;

(b) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

6. Officers of the Indian Railway Service of Mechanical Engineers :—

(a) will be eligible to pensionary benefits, and

(b) shall subscribe to the State Railway Non-Contributory Provident Fund under the Rules of that Fund.

as applicable to Railway Servants appointed on the date they join service.

7. Pay will commence from the date of joining service as a probationer. Service for increments will also count from the same date subject to paragraph above. Particulars as to pay are contained in paragraph 10 of this Appendix.

8. Officers recruited under these regulations shall be eligible for leave in accordance with the rules for the time being in force applicable to officers of Indian Railways.

9. Officers will ordinarily be employed thoughout their service on the Railway to which they may be posted on first appointment and will have no claim as a matter of right to transfer to some other Railway but the Government of India reserve the right to transfer such officers in the exigencies of service, to any other Railway or Project in or out of India. Officers will be liable to serve in the Stores Department of Indian Railways if and when called upto do so.

10. The following are the rates of pay at present admissible to officers appointed to Indian Railway Service of Mechanical Engineers.

Junior scale : Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000/-

Senior scale : Rs. 3000-100-3500-125-4500/-

Junior Administrative Grade : Rs. 3700-125-4700-150-5000/-

Senior Administrative Grade : (i) Rs. 5100-150-5700/-, (ii) 5900-200-6700/-,

NOTE 1.—Probationary officers will start on the minimum of the Junior scale and will count their service for increment from the date of joining. They will, however, be required to pass any departmental examination or examinations that may be prescribed before their pay can be raised from Rs. 2275.00 p.m. to Rs. 2350.00 p.m. in the time scale.

NOTE 2.—Increment from Rs. 2275.00 to Rs. 2350.00 will be stopped if they fail to pass departmental examinations within the first two years of the training and probationary period. In cases where the training period has to be extended for failure to pass all the departmental examinations within the stipulated period, on their passing the departmental examinations after expiry of the extended period of training their pay from the date following that on which the last examination ends, will be fixed at the stage, in the time scale, which they would have otherwise attained but no arrears of pay would be allowed to them. In such cases the date of future increments will not be affected.

11. The increments will be given for approved service only and in accordance with the rules of the Department.

12. Promotion to the Administrative grades are dependent on the occurrence of vacancies in the sanctioned establishment and are made wholly by selection, mere seniority does not confer any claim for such promotion.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1996
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad and Published by the Controller of Publications, Delhi, 1996.